



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226322
CG-DL-E-01042021-226322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 188]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सं. 38/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 239(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) की प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है।

- नियमों का संक्षिप्त नाम- ये नियम (1) सीमाशुल्क टैरिफ नियम (भारतीय गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग के तहत वस्तुओं के मूल का निर्धारण और साझेदारी करार) 2021 हैं।
(2) ये दिनांक 1 अप्रैल 2021 से लागू किए जाएंगे।
- परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
(क) "करार" का तात्पर्य है भारतीय गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी से संबंधित करार से है।
(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्यः

- (i) भारत में, वाणिज्य विभाग अथवा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) अथवा समय समय पर अधिसूचित की गई किसी अन्य एजेंसी से है।
- (ii) मॉरिशस में, मॉरिशस के राजस्व प्राधिकारी, सीमाशुल्क विभाग;
- (ग) "सीमाशुल्क मूल्य" से तात्पर्य टैरिफ और व्यापार 1994 (जिसे जीएटीटी के नाम से भी जाना जाता है) के सामान्य करार के अनुच्छेद vii के अनुसार निर्धारित किया गया मूल्य, उसके पूरक प्रावधानों और टिप्पणियों समेत; और जीएटीटी (जिसे सीमाशुल्क मूल्यांकन करार के नाम से भी जाना जाता है) के अनुच्छेद 7 के कार्यान्वयन संबंधी करार;
- (घ) "वाहक" से तात्पर्य वायु, जल अथवा भूमि परिवहन से संबंधित किसी वाहन से हैं।
- (ङ) "टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन" अथवा "सीटीसी" से तात्पर्य निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली- उद्भूत न हो सकने वाली सामग्री के प्रासंगिक टैरिफ वर्गीकरण से है। सीटीसी में निम्न मामलों को शामिल किया जाता है:
- (i) अध्याय अथवा सीसी में परिवर्तन से तात्पर्य निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली- सभी उद्भूत न हो सकने वाली सामग्री के लिए सामंजस्य पूर्ण प्रणाली के अध्ययन में दो अंकों के स्तर पर परिवर्तन से है।
- (ii) टैरिफ शीर्षक अथवा सीटीएच में परिवर्तन से तात्पर्य निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली- सभी उद्भूत न हो सकने वाली सामग्री के लिए अध्याय अथवा सीटीएच में परिवर्तन जिसका अर्थ सामंजस्य पूर्ण प्रणाली के अध्ययन में चार अंकों के स्तर पर परिवर्तन से है।
- (iii) टैरिफ उपशीर्षक अथवा सीटीएच में परिवर्तन से तात्पर्य निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली- सभी उद्भूत न हो सकने वाली सामग्री के लिए सामंजस्य पूर्ण प्रणाली के अध्ययन में छः अंकों के स्तर पर परिवर्तन से है।
- (च) "सीआईएफ मूल्य" से तात्पर्य जिस मूल्य का माल को उतारते समय, निर्यात के लिए जहाज पर लादते समय निर्यातक को वास्तव में बंदरगाह पर लादते समय निर्यातक को, भुगतान किया गया अथवा देय है इसमें माल, बीमा, माल की दुलाई जो अंकित माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है, की लागत भी शामिल है। यह मूल्यांकन सीमाशुल्क मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा।
- (छ) "एफओबी मूल्य" अथवा फ्री-ऑन-बोर्ड माल को बंदरगाह को लादते समय निर्यातक को वास्तविक रूप से किया गया अथवा देय भुगतान इसमें उत्पाद की लागत और माल को उत्पाद की लागत और उत्पाद के वाहक तक लाते समय आवश्यक सभी लागतें शामिल हैं।
- (ज) "हार्मोनाईज सिस्टम" से तात्पर्य है सामंजस्य पूर्ण वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रणाली अथवा शोध में स्थापित सामंजस्य पूर्ण प्रणाली या एचएस, इसमें यदि पक्षों के द्वारा उनके संबंधित कानूनों में कोई संशोधन किया गया हो और उसका कार्यान्वयन किया गया हो तब उसे भी शामिल किया जाता है।
- (झ) "विनिर्माण" से तात्पर्य कार्य अथवा प्रसंस्करण से है:
- (ञ) "सामग्री" से तात्पर्य कोई सामान, कच्चा माल, घटक या भाग और माल जिसका प्रयोग किसी अन्य माल के उत्पादन कि लिए किया जाना है और किसी अन्य वस्तु को बनाने में प्रयोग किया जाना है;
- (ट) "उत्पादन में प्रयुक्त न उद्भूत की जाने वाली सामग्री" से तात्पर्य उस सामग्री से है जिसका मूल देश पक्षों (निर्यातित उद्भूत न की जा सकने वाली) के देश के अलावा कोई देश हो और कोई सामग्री जिसका मूल निर्धारित न किया जा सकता हो (गैर-निर्धारित मूल);
- (ठ) "मूल सामग्री" से तात्पर्य उस सामग्री से है जो इन नियमों के तहत मूल होने की पात्र है;
- (ड) "पक्षों" से तात्पर्य भारतीय गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य से है;

- (ढ) "पक्ष" से तात्पर्य भारतीय गणराज्य अथवा मॉरिशस गणराज्य से है;
- (ण) "अधिमान्य शुल्क उपाय" से तात्पर्य है करार के तहत किसी एक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को कटौती और/या माल की आवाजाही पर से टैरिफों को हटाकर प्रदान की गई रियायत या सुविधा;
- (त) "उत्पाद" से तात्पर्य विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद से है चाहे उसका उद्देश्य भविष्य में किसी अन्य विनिर्माण कार्य में किया जाना हो;
- (थ) "टैरिफ वर्गीकरण" से तात्पर्य सामान्य व्याख्यात्मक नियमों और स्वतः स्पष्ट टिप्पणियों में शामिल व सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था के अनुसार माल के वर्गीकरण से है;
- (द) "टैरिटोरिय बॉटर्स" से तात्पर्य समुद्री कानून (यूएनसीएलओएस) पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अनुकूल पक्षों द्वारा परिभाषित सीमा रेखा से 12 नॉटिकल मील तक बढ़ा हुआ जल;
- (ध) "टैरिटरी" से तात्पर्य है पक्ष की सीमा जिसमें क्षेत्रीय जल और हवा के स्थान से उनके सीमांत जल और अन्य मैरिटाइम जोन जिसमें विशिष्ट आर्थिक जोन और कांटेनेंटल शेल्फ जिस पर समुद्री कानून व अंतर्राष्ट्रीय कानून पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 1982, के लागू कानून के अनुकरण में पक्ष के पास विशिष्ट न्याय क्षेत्र या संप्रभुता है।
- (न) "उद्भूत न की जाने वाली सामग्रियों के मूल्य" से तात्पर्य है आयात के समय उद्भूत न की जाने वाली सामग्री का सीमा शुल्क मूल्य, अथवा यदि यह ज्ञात न हो अथवा इसका पता न लगाया जा सकता हो तब किसी पक्ष की सीमा में सामग्री का भुगतान की जाने वाली पहली निर्धारित कीमत।

3. **मूल के लिए मापदंड – (1)** इन नियमों को तैयार करने के लिए एक उत्पाद को उस स्थिति में किसी पक्ष द्वारा तैयार किया गया व अधिमान्य शुल्क उपाय के योग्य माना जाएगा यदि;

(क) नियम 4 के अनुसार पक्ष में पूर्णतः प्राप्त (WO) कर लिया गया हो; अथवा

(ख) यह अनुलग्नक I में सूचित उत्पाद निर्धारित नियमों (पीएसआर) को पूरा करता हो।

अनुलग्नक I में उत्पाद निर्धारित नियमों के लिए मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडीशन) के मापदंड को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

मूल्य संवर्धन= [निर्यात का एफओबी मूल्य-(उद्भूत न की जाने वाली सामग्री का सीआईएफ मूल्य+गैर निर्धारित मूल की सामग्री की कीमत)] [निर्यात का एफओबी मूल्य]

अथवा

मूल्य संवर्धन = [मूल सामग्री की लागत+प्रत्यक्ष श्रम लागत + प्रत्यक्ष अधिशीर्ष लागत+लाभ]/ [निर्यात का एफओबी मूल्य]

(2) इन नियमों में उल्लिखित बातों के बावजूद भी, अंतिम विनिर्माण को निर्यात से पहले, निर्यात करने वाले पक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4. **पूर्णतः उत्पादित या प्राप्त उत्पाद.-** नियम 3 के उप नियम (1) के वाक्य (क) में निहित अर्थ में निम्न उत्पादों को पूर्णतः प्राप्त अथवा किसी पक्ष की सीमा में उत्पादित माना जाएगा:

(क) किसी पक्ष में उगाए व काटे जाने वाले पौधों के उत्पाद;

स्पष्टीकरण.- इस वाक्य के प्रयोजन की पूर्ति के लिए "पौधे" शब्द यहां सभी वनस्पति जगत के लिए संदर्भित किया गया है जिसमें फल, फूल, पेड़, समुद्री-घास, फफूंदी और जीवित पौधे शामिल हैं।

(ख) वहां पैदा होने वाले या पाले जाने वाले जानवर व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद;

(ग) पक्ष द्वारा शिकार करने, जाल बिछाने, मछली पकड़ने या जल के जीव जंतुओं को पकड़ने से प्राप्त उत्पाद;

(घ) पक्ष के पंजीकृत यान के माध्यम से, उस पक्ष की जल-सीमा के बाहर के समुद्री क्षेत्र में पकड़ी गई मछलियों और उनसे प्राप्त उत्पाद प्राप्त करना और अपना ध्वज फहराना।

(ड.) मुद्रा, जल अथवा समुद्र से अथवा इसकी तह से निकाले गए खनिज व अन्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ।

(च) किसी भी पक्ष की सीमा में किए गए उपयोग, उपभोग और विनिर्माण कार्यों से प्राप्त किया गया बेकार व कबाड़ का सामान, बशर्ते कि वह इस योग्य हो कि उससे कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता हो; और

(छ) उपरोक्त (क) से (च) वाक्यों में विशेष रूप से निर्दिष्ट किए गए विनिर्मित उत्पाद।

5. न्यून करना.- मूल मापदंड पर नियम 3 में निहित बातों के बावजूद भी, उद्भूत न की जा सकने वाली सामग्री, जो नियम 4 अथवा सीटीसी में भी सूचीबद्ध किए गए पूर्णतः प्राप्त मापदंड को पूरा नहीं करती है, तब यदि उत्पाद निर्दिष्ट नियम (पीसीआर) के तहत लागू हो तो उसे मूल उत्पाद माना जाएगा यदि:

(क) उनका कुल मूल्य निर्यात उत्पाद के एफओबी (FOB) मूल्य के 125 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) एचएस के अध्याय 50-63 के तहत वस्त्रों और तैयार कपड़ों के मामले में, उद्भूत न की जा सकने वाली सामग्री का भार, निर्यात उत्पाद में प्रयोग की गई सामग्री के कुल भार 7 प्रतिशत से कम है।

6. न्यूनतम कार्य और प्रक्रियाएं- इन नियमों में निहित बातों के बावजूद किसी उत्पाद को पक्ष का मूल उत्पाद नहीं माना जाएगा यदि निम्न में से कुछ कार्यों को उस पक्ष को विशेष रूप से शुरू किया गया हो अथवा उस पक्ष के सीमा क्षेत्र के संयोजन में किया गया हो:-

(क) माल के परिवहन और भंडारण (जैसे सुखाने, जमाने व पिघलाने का कार्य, नमक के द्वारा संरक्षित करना, खराब भागों को निकालना) और ऐसे ही अन्य पदार्थ;

(ख) सामान के पैकेज बदलना और खोलना और पैकेज बनाना,

(ग) धूल, आक्साइड, तेल, पेंट व अन्य प्रकार की परतों को धोना और साफ करना,

(घ) कपड़ों के लिए

(i) साधन वस्तुओं जैसेकि फीते, रिबन, मनकों, तारों, अंगूठियों और सुराख इत्यादि लगाना।

(ii) कपड़ों की इस्त्री अथवा प्रेसिंग करना।

(ड.) सामान्य पेंटिंग और पॉलिशिंग करना;

(च) दालों और चावल में से भूसा निकालना, आंशिक अथवा पूर्ण ब्लिचिंग, पॉलिश करना और चमकदार बनाना,

(छ) चीनी को रंगने और चीनी के दाने तैयार करने का कार्य करना।

(ज) फलों, अखरोट और सब्जियों को छीलना व उनमें से पत्थरों व परतों को साफ करना।

(झ) पैना करना, सामान्य रूप से पीसना और काटना।

(ञ) सामान्य कार्य जैसे मिट्टी साफ करना, छानना, स्क्रीनिंग, छंटाई, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, मिलान;

(ट) बोटलों, डिब्बों, फ्लास्क, बैग, मामले, केस, कार्ड या बोर्ड को तैयार करना और अन्य सभी साधारण पैकेजिंग के कार्य;

(ठ) उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर अलग-अलग चिन्ह जैसे लेबल, प्रतीक चिन्हों या कुछ और अंकित करना या छापना;

(ड) सामान्य या अलग-अलग तरह के उत्पादों का सरल मिश्रण तैयार करना;

(ञ) वस्तु को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए उसके भागों को जोड़ना या उत्पादों को भागों में बांटना।

(ट) पशुओं का वध करना; अथवा

(ठ) सामान्य परीक्षण अंशआंकन, निरीक्षण अथवा प्रमाणन ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए "साधारण" में ऐसा कार्यकलाप वर्णित है जिसके लिए कार्यकलाप को करने हेतु किसी विशेष दक्षता अथवा स्थापित मशीन, यंत्र अथवा विशेष रूप से उत्पादित किसी उपस्कर की आवश्यकता नहीं है।

7. **द्विपक्षीय संचयन-** यह निर्धारित करने के निमित्त की क्या कोई उत्पाद पक्ष के उद्भूत होने वाले उत्पाद के रूप में अर्हक है, अन्य पक्ष का उद्भूत होने वाली सामग्री जिसका इस्तेमाल पूर्व पक्ष में उत्पाद के उत्पादन की सामग्री के रूप में किया जाता है, को पूर्व पक्ष के अंतिम उत्पादन की प्रक्रिया के रूप में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी सामग्री पूर्व पक्ष में अंतिम उत्पादन की प्रक्रिया से गुजर चुकी है जिसके परे नियम 6 में प्रचालन की व्यवस्था की गई है।

8. **पैकेज तथा पैकिंग सामग्रियां एवं कंटेनर. (1)** फुटकर बिक्री के लिए पैकेज तथा पैकिंग सामग्रियां जिन्हें पैकेज किए गए उत्पाद के साथ वर्गीकृत किया जाता है, को यह विचार करने के लिए ध्यान में नहीं लाया जाएगा कि क्या किसी उत्पाद के विनिर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्रियां उक्त उत्पाद के टैरिफ वर्गीकरण के परिवर्तन के अनुरूप मानदंड को पूरा करती हैं।

(2) जहां उत्पाद सम मूल्य प्रतिशत मानदंड के अधीन है पैकेज तथा फुटकर बिक्री के लिए पैकिंग सामग्रियों के मूल्य को उसके मूल निर्धारण में विचार किया जाएगा यदि पैकिंग पर सम्पूर्ण उत्पाद के रूप में विचार किया जाता है।

(3) उत्पाद के परिवहन के लिए अन्नय रूप से इस्तेमाल किए गए कंटेनरों तथा पैकिंग सामग्रियों को किसी उत्पाद के मूल का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(9) सहायक सामग्रियां अतिरिक्त पुर्जे तथा यंत्र एवं सेट- (1) कलपुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे तथा उपस्कर, मशीन, यंत्र अथवा वाहन के साथ भेजे गए यंत्र जो मानक व्यापार संव्यवहार के अनुसार सामान्य उपस्कर का भाग हैं तथा जिनके मूल्य को एफओबी कीमत में शामिल किया गया है, अथवा जिन पर अलग से बीजक नहीं बनाया गया है, पर संदर्भगत उत्पाद के एक भाग के रूप में विचार किया जाएगा।

(2) जैसाकि एकीकृत प्रणाली के सामान्य नियम 3 में परिभाषित किया गया है, सेटों को उद्भूत के रूप में समझा जाएगा जब सभी संघटक उत्पाद उद्भूत हो रहे हैं। तथापि जब किसी सेट का निर्माण उद्भूत होने वाले और गैर उद्भूत होने वाले उत्पादों से किया जाता है तो संपूर्ण रूप में सेट को उद्भूत होने वाला माना जाएगा बशर्ते कि गैर उद्भूत होने वाले उत्पाद का मूल सेट के एफओबी मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इस नियम को लागू करने वाला दल सेट के उत्पाद को उद्भूत करने के लिए नियम 5 में न्यूनतम मानदंडों को इस्तेमाल नहीं करेगा।

10. **अप्रत्यक्ष सामग्री.** निष्पक्ष तत्व जो उत्पाद के अंतिम संघटन में प्रविष्ट नहीं किए हैं जैसेकि ऊर्जा तथा इंधन, संयंत्र तथा उपस्कर, अथवा मशीन अथवा यंत्र, पर उस उत्पाद के मूल का निर्धारण करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

11. **लेखांकन पृथक्करण-** (1) जहां निर्धारित न किए गए मूल की सामग्री सहित उद्भूत होने वाली तथा गैर उद्भूत होने वाली सामान तथा पारस्परिक विनिमय वाली सामग्रियों का इस्तेमाल किसी उत्पाद के विनिर्माण में किया जाता है, वहां उन सामग्रियों को वास्तविक रूप से उनके मूल तथा भंडारण के दौरान अलग किया जाएगा।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के बावजूद, उत्पादन के निर्माण में उपयोग किए गए अनिर्धारित मूल उत्पादन की सामग्री सहित समान और विनिमय मूल और गैर-उत्पत्ति वाले सामग्रियों के अलग अलग भंडार रखने में एक निर्माता को काफी लागत या सामग्री के कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो भण्डार को प्रबंधित करने के लिए तथा कथित "लेखांकन अलगाव" विधि का उपयोग कर सकता है।

(3) लेखा विधि को उस पक्ष में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार दर्ज, लागू और रखरखाव किया जाएगा जिसमें उत्पाद निर्मित होता है। विधि इस प्रकार होनी चाहिए :-

(क) अनिर्धारित मूल की सामग्री के अर्जन और/या भण्डार में रखें सामग्री सहित मूल और उत्पत्ति सामग्री के बीच स्पष्ट अंतर करने की अनुमति ; और

(ख) बारह महीनों की प्रासांगिक लेखा अवधि की गारंटी की इसके भिन्न किसी और उत्पादकों को उस स्थिति में मूल परिस्थिति प्राप्त नहीं होगी यदि उक्त सामग्रियों को वास्तविक रूप से अलग नहीं किया गया था।

मांग प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला उत्पादक प्रणाली के प्रचालन का अभिलेख रखेगा जो संबंधित पक्षकार के सीमाशुल्क प्रशासन के लिए आवश्यक है ताकि इन नियमों के प्रावधानों की अनुपालना है ताकि इन नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का सत्यापन किया जा सके।

स्पष्टीकरण.- पद “ सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत” का आशय किसी विशेष समय पर पार्टी के मध्य मान्यता प्राप्त सहमति अथवा आर्थिक प्राधिकृत समर्थन है कि कौन सा आर्थिक संसाधन परिसम्पत्ति तथा देयताओं के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। जिसके संबंध में परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाना चाहिए, परिसम्पत्तियों तथा देताओं में होने वाले परिवर्तनों को कैसे मापा जाए, कौन सी सूचना प्रकट कि जाए तथा कैसे प्रकट किया जाए एवं कौन सा वित्तीय विवरण तैयार किया जाए। सामान्य अनुप्रयोग के व्यापक दिशा-निर्देश तथा विस्तृत संव्यवहार एवं प्रक्रियाएं हो सकते हैं।

(4) सक्षम प्राधिकारी अपने निर्यातकों को यह मांग कर सकता है कि इस नियम में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रबंधन भण्डार की विधि को पूर्व प्राधिकारी के अधीन लागू किया जाएगा।

12. परिवहन – (1) करार के अनुसार तरजीही समव्यवहार उन उत्पन्न होने वाले उत्पादों को ही दिया जाएगा जिन्हें पक्षकारों के माध्यम से भेजा जाता है।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के होते हुए उत्पन्न होने वाला कोई उत्पाद पारगमन अथवा ऐसे गैर पक्षकार में अस्थायी भण्डारण के नियमित गैर पक्षकार में अस्थायी भण्डारण के नियमित गैर पक्षकार भू-क्षेत्र के जरिए भेजा जाएगा बशर्ते की यह:

(क) उतार, पुर्नचढाई से भिन्न प्रचालन तथा इसे अच्छी दशा में सुरक्षित रखने के लिए निर्मित किसी प्रचालन को नहीं करता है; और

(ख) सीमाशुल्क नियंत्रण के अधीन रहता है तथा उन गैर पक्षकारों के मध्य उपभोग निष्पादित नहीं किया है।

यदि दूसरी पार्टी का उत्पन्न होने वाला कोई उत्पाद इस उपनियम में संदर्भित किन्हीं मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उस उत्पाद को दूसरी पार्टी के उत्पन्न होने वाले उत्पाद के रूप में नहीं माना जाएगा।

(3) अनुरोध करने पर आयातक आयात पक्ष के सीमाशुल्क प्राधिकारियों को समूचित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा की उपनियम (2) में वर्णित शर्तों को पूरा कर लिया गया है।

13. मूल का प्रमाण- पक्ष में मूल उत्पाद व इसके अलावा इन नियमों की मूल संबंधी आवश्यकतओं को पूरा करने के लिए किसी निर्यात उत्पाद के मूल प्रमाण को निम्न प्रकार से उपलब्ध कराया जाएगा :

(क) अनुलग्नक 2 के प्रावधानों के अनुकरण में, किसी वाणिज्यिक दस्तावेज पर किसी अनुमोदित निर्यातक द्वारा पक्ष में की गई मूल घोषणा।

(ख) अनुलग्नक 3 और 4 में सूचीबद्ध किसी भी पक्ष के सक्षम अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक सहित प्रिंट अथवा अन्य माध्यम द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र जिसका प्रारूप अनुलग्नक 5 में उपलब्ध कराया गया है , मूल इलेक्ट्रानिक प्रमाण पत्र को जारी करने व स्वीकृति प्रदान करने क कार्य प्रत्येक पक्ष के राष्ट्रीय विधान के अनुसार किया जाएगा।

मूल का प्रमाणपत्र/विवरण या मूल की घोषणा , निर्यातक पक्ष में जारी किए जाने की तारीख के 12 महीनों तक मान्य होगी।

(2) उप-नियम(1) के बावजूद ,यदि आयात पक्ष ने आवश्यकताएं माफकर दी हैं अथवा राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार आयातक को मूल का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है तबऐसी स्थितिमें आयात पक्ष को मूल प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

(3) उस पक्ष में लागू की जाने वाली प्रक्रिया के अनुकरण में मूल के प्रमाण को आयात करने वाले देश के सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

14. मूल का प्रमाणन और घोषणा-(1) मूल का प्रमाण अंग्रेजी में होगा।

(2) मूल का प्रमाण इन नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हल्के गुलाबी रंग में किया जाएगा।

- (3) मूल के प्रमाण पर एक विशिष्ट क्रमबद्ध क्रमांक संख्या होगी जिसे निर्यात पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा।
- (4) मूल का प्रमाण केवल एक आयात के लिए किया जाएगा और इसमें एक या एक से अधिक वस्तुएं शामिल की जाएंगी।
- (5) वाणिज्यिक चालान अथवा किसी अन्य आवश्यक दस्तावेज की संख्या और तिथि, मूल प्रमाण पत्र में इस उद्देश्य के लिए आरक्षित किए गए बाक्स में दर्शाई जाएगी।
- (6) मूल के प्रमाण को इसकी मान्य अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। (7) अपवादपूर्ण परिस्थितियों में, मूल के प्रमाण को आयात पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा जिससे इसकी मान्य अवधि समाप्त होने के बाद भी अधिमान्य टैरिफ उपचार प्रदान किया जा सके, बशर्ते कि किसी अप्रत्याशित घटना या अन्य उचित कारण निर्यातक के नियंत्रण से परे हों की वजह से समय सीमा का पालन न किया जा सका हो और माल का आयात, उक्त मूल के प्रमाण की मान्य अवधि समाप्त होने से पूर्व कर दिया गया हो।
- (8) मूल का प्रमाण अथवा मूल घोषणा को निर्यातक द्वारा आयातक को अग्नेषित किया जाएगा। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को मूल प्रति की आवश्यकता हो सकती है।
- (9) मूल के प्रमाण पर किसी प्रकार की त्रुटि को मिटाना अथवा किसी प्रकार का प्रतिस्थापन अनुमेय नहीं है। यदि कोई संशोधन हो, तब वह त्रुटियों को चिन्हित करके दर्शाया जाएगा और अपेक्षित बातों को जोड़ा जाएगा, इस प्रकार के संशोधनों को मूल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत किए अधिकारी या अनुमोदित निर्यातक द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित किया जाएगा, या आगे कोई उसमें कोई बदलाव न कर सके इसके लिए खाली जगह पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाएगा।
- (10) मूल प्रमाण पत्र निर्यात के समय जारी किया जाएगा, किंतु अपवादपूर्ण मामलों में, यदि मूल प्रमाण पत्र निर्यात के समय जारी न किया गया हो या अनैच्छिक त्रुटियों अथवा किसी चूक या किसी और कारण की वजह के कारण शिपमेंट की तारीख के पांच दिनों के भीतर जारी न किया गया हो, तब मूल प्रमाण को पूर्वव्यापी रूप से जारी किया जा सकता है, और मूल घोषणा या मूल प्रमाण पत्र, इन दोनों में से जो भी हो, उस पर जारी करने वाले प्राधिकारी या अनुमोदित निर्यातक द्वारा यथास्थिति जारी किया जाएगा, साथ ही अपवादपूर्ण स्थितियों में लिखित रूप से, प्रमाण पत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी किए जाने के कारणों को भी दर्ज किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र या मूल घोषणा को शिपमेंट की तारीख के 12 महीनों के भीतर जारी पूर्व व्यापी प्रभाव से जारी किया जा सकता है।
- (11) मूल प्रमाण-पत्र की चोरी, हानि या क्षति होने का स्थिति में, निर्यातकर्ता अपने पास उपलब्ध निर्यात दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई मूल प्रामाणिक प्रति प्राप्त करने के लिए जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष लिखित में आवेदन कर सकता है, उस मूल प्रामाणिक पत्र पर "प्रामाणिक सत्य प्रतिलिपि" (मूल प्रमाण पत्र के तौर पर) लिखा जाएगा। इस प्रति पर मूल प्रमाणपत्र की तारीख डाली जाएगी। मूल प्रमाण पत्र की प्रामाणिक सत्य प्रतिलिपि को, मूल प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख के एक वर्ष के भीतर ही जारी कर दिया जाता है। इसी प्रकार कोई अनुमोदित निर्यातक, मूल घोषणापत्र की प्रामाणिक सत्य प्रतिलिपि जारी कर सकता है और उसे मौलिक मूल घोषणा जारी किए जाने की तारीख के एक वर्ष के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा। निर्यातक शीघ्र ही क्षति को अधिसूचित करेगा और सक्षम अधिकारी के समक्ष यह घोषणा करेगा कि इस करार के तहत निर्यात के लिए मूल प्रमाणपत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (12) मूल प्रमाण और आयात के बंदरगाह पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के समक्ष, उत्पादों का आयात करने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके मध्य मामूली विसंगतियां होने पर वास्तव में मूल का प्रमाण अमान्य नहीं होगा यदि ऐसा मूल प्रमाण आयात के तहत उत्पादों से सम्बन्धित हो। टंकण की त्रुटियों अथवा प्रारूप की त्रुटियों सहित मामूली विसंगतियों का मूल के प्रमाण की सत्यता पर अथवा उसमें निहित सूचना की यथार्थता पर अथवा उसमें निहित सूचना की यथार्थता पर कोई प्रभाव न पड़े। जारी करने वाले प्राधिकारी के नमूना हस्ताक्षरों या सील में पाई जाने वाली विसंगतियों को मामूली नहीं माना जाएगा।

15. तृतीय पक्ष का बीजक – जिस माल का व्यापार किया जाना है यदि उसका बीजक किसी गैर-पक्ष के व्यापारी द्वारा किया जाता है तब मूल पक्ष के निर्माता, विनिर्माता या निर्यातक, मूल प्रमाण के "टिप्पणी" शीर्षक में यह सूचित करेंगे कि

माल का बीजक गैर-पक्ष के व्यापारी द्वारा किया गया है, और गैर पक्ष के व्यापारी द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक बीजक के निम्नलिखित आंकड़ों को पुनः तैयार किया जाए: गैर-पक्ष के व्यापारी का नाम और पता, बीजक संख्या और तारीख।

16. प्राधिकारी — (1) मूल प्रमाणपत्र को पक्षकारों (एतस्मिन् पश्चात् इसे जारी करने वाले प्राधिकारियों के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा नामित किए गए प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पक्ष सक्षम प्राधिकारियों और सीमाशुल्क प्रशासकों को इस करार के तहत मूल प्रमाणपत्रों अथवा विवरणों को जारी करने के लिए नामित किए गए जारीकर्ता प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत निर्यातकों के अधिकारियों के नाम और पतों के संबंध में सूचित करेगा।

(3) प्रत्येक पक्ष अपने निम्न प्राधिकारियों के नाम, पद और सम्पर्क विवरण (पता, दूरभाष, फैक्स संख्या, ई-मेल) की सूचना देगा-

i) जिसे अन्य पक्ष के जारी करने वाले प्राधिकारी के नमूना सील और हस्ताक्षर प्रेषित किए जाने है।

ii. पक्षकार द्वारा जारी किए गए मूलतः उत्पादन से प्रमाण के सत्यापन को संदर्भों को किसे दिया जाना चाहिए।

भारत: वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

मॉरीशस मॉरीशस राजस्व प्राधिकरण, सीमाशुल्क विभाग

iii. अन्य पक्षकार के निर्गमन प्राधिकारी की आदर्श मुहरें और हस्ताक्षर किससे प्राप्त की जा सकेगी।

भारत: वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

मॉरीशस: मॉरीशस राजस्व प्राधिकरण, सीमाशुल्क विभाग

iv. अन्य पक्षकार द्वारा जारी किए गए मूलतः उत्पादन से प्रमाण के सत्यापन के लिए निर्देश किसे जारी किए जाएंगे

भारत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार

मॉरीशस: मॉरीशस राजस्व प्राधिकरण, सीमाशुल्क विभाग

4. नाम, पदनाम, पता, नमूना, हस्ताक्षर या अधिकारिक मुहरों में कोई भी बदलाव हो, तो इन बदलावों से अन्य पक्षकार को तुरंत सूचित किया जाए।

17. मूलतः उत्पादन से प्रमाण के आवेदन के लिए दस्तावेज:-

1. मूलतः उत्पादन से प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए, अंतिम उत्पादक, निर्माता, या उस माल के निर्यातक अनुमोदित चैनल के माध्यम से निर्यात पक्षकार के निर्गमन प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत या पेश करेंगे-

(क) अनुबंध 6 में संदर्भित न्यूनतम अपेक्षित सूचना का सेट वह चाहे जिस प्रपत्र या प्रारूप में हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो; और

(ख) अनुकूल वाणिज्यिक चालान या अन्य दस्तावेज उस माल के मूलतः उत्पादन से को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो

2. मूलतः उत्पादन से घोषणा के मामले में, अनुमोदित निर्यातक इस नियम के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को बनाए रखेगा।

3. न्यूनतम आवश्यक सूचना में माल और उसके टैरिफ वर्गीकरण का वर्णन, वाणिज्यिक क चालान में माल के विवरण के साथ मेल खाता हो।

4. निर्गमन प्राधिकारी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माणकर्ता अथवा अनुमोदित निर्यातक द्वारा दाखिल की गई न्यूनतम आवश्यक सूचना के पूर्व-निर्यात सत्यापन का चयन करने के लिए, एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू कर सकता है। सत्यापन, निर्गमन प्राधिकारी के विवेक पर, निर्भर होगा जिसमें विस्तृत लागत पत्रक प्राप्त करने और कारखाने का दौरा करने जैसी विधियां शामिल हैं।

18. दस्तावेजों का परिरक्षण- निर्गमन प्राधिकारी जारी करने की तारीख से पांच साल से अनधिक की अवधि के लिए न्यूनतम आवश्यक जानकारी और सहायक दस्तावेज को आवश्यक रूप में रखेगा।

19. निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक का दायित्व:- (1) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक न्यूनतम आवश्यक जानकारी, जैसा कि नियम 17 के उप-नियम (1) में उल्लिखित है, प्रस्तुत करेगा और निर्यातक पक्षकार में निर्गमन प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार मूलतः उत्पादन से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहायक दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करेगा जहां माल, इन नियमों की उत्पत्ति से संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

(2) कोई भी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक जो माल के उत्पत्ति के निर्धारण से संबंधित किसी भी झूठी भौतिक जानकारी का देता है तो वह निर्यात करने वाले पक्षकार के घरेलू कानूनों के तहत दंडित होगा।

(3) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक न्यूनतम आवश्यक जानकारी, जैसा कि नियम 17 के उप-नियम (1) में उल्लिखित है, और सहायक दस्तावेज जारी करने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अवश्य संजोएगा।

(4) उत्पत्ति के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, इस समझौते के तहत मूलतः उत्पादन से या मूलतः उत्पादन से घोषणा के प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक अधिमान्यता प्राप्त के लिए योग्य वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति हेतु उचित वाणिज्यिक लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखेगा और उत्पत्ति के प्रमाण के जारी होने की तारीख से कम से कम पांच साल के लिए माल के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री से संबंधित सभी वाणिज्यिक और सीमाशुल्क प्रलेखन अपने पास रखेगा।

(5) ये दायित्व उन आपूर्तिकर्ताओं पर भी लागू होता है जो ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक को आपूर्ति किए गए माल की मूलतः उत्पादन से स्थिति को प्रमाणित करने वाले घोषणा पत्र के साथ प्रदान करते हैं।

(6) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक, पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर जहां मूलतः उत्पादनसे प्रमाण या मूलतः उत्पादन से घोषणा जारी किया गया है, निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा ताकि माल की उत्पत्ति का सत्यापन हो सके।

(7) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक इस नियम के संबंध में, निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी और आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्रशासन के बीच सहमति होने पर सत्यापन दौरे के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। यदि ऐसे सत्यापन दौरे पर किसी भी प्रकार की असहमति होती है तो दूसरे पक्षकार को समझौते के तहत दिए जाने वाले अधिमानी लाभों से इन्कार किया जा सकता है।

(8) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक उन सभी पक्षकारों को सूचित करेंगे, जिन्हें किसी भी बदलाव के लिए प्रमाण पत्र या विवरण दिया गया या जो उसकी सटीकता या वैधता को प्रभावित कर सकते हैं।

20. अधिमान्यता के लिए दावे का प्रस्तुतीकरण:(1) आयातक माल के आयात के समय आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी के समक्ष अधिमान्यता के लिए दावा करेगा। मूलतः उत्पादन के लिए उत्तम शुल्क प्रबंध का दावा करने के उद्देश्य से मूलतः उत्पादन की प्रति जैसा कि नियम 13 में कहा गया है, यदि आवश्यक हो मूलतः उत्पादन के मूलतः उत्पादन प्रमाण सहित आयातक पक्षकार के कानूनों और नियमों के अनुसार आयात के लिए माल की सीमाशुल्क निकासी के समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) यदि नियम 13 में उल्लिखित मूलतः उत्पादन प्रमाण के मूलतः उत्पादन प्रति दिये बिना उत्तम प्रबंध का दावा किया जाता है तो आयातक पक्षकार का सीमाशुल्क अधिकारी आयातक पक्षकारों के कानून और प्रक्रियाओं के अधीन तथा उसके अधीन आयात प्रचालनों को पूरा करने की एक पूर्व शर्त के रूप में तर्जिही समव्यवहार को मना कर सकता है तथा इसके किसी तौर तरीके की गारंटी के लिए अनुरोध कर सकता है तथा राजकोषकीय हितों की रक्षा के लिए अवश्य कार्यवाही कर सकता है जिसमें अवश्य होने पर उद्गम साक्ष्य भी शामिल हैं।

21. मूल प्रमाणपत्र अथवा मूल विवरण का प्रमाणिकरण:-

(1) आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी नियम 13 में उल्लिखित मूल प्रमाण के प्रमाणिकता से संबंधित एक सत्यापन शुरू कर सकता है साथ ही संदेह या अनियामितता के आधार पर इन नियमों में स्थित प्रक्रियाओं के अनुसार इसमें शामिल सूचनाओं की सत्यता भी शामिल हैं।

(2) जहां तक संभव हो, सत्यापन का संचालन करने वाले आयातक पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी सत्यापन के लिए निर्यातक पक्षकार के समक्ष प्राधिकारी कोई भी अनुरोध करने से पहले, अपने घरेलू कानूनों और नियमों के अनुसार आयातक से आयातित मूलतः उत्पादन की उत्पत्ति से संबंधित आवश्यक सूचना और दस्तावेजों की मांग करें।

(3) ऐसे मामलों में जहां आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी ने निर्यातक पक्षकार के समक्ष प्राधिकारी से सत्यापन की मांग आवश्यक है वहां यह स्पष्ट करना होगा कि सत्यापन आकस्मिक आधार पर है या सूचना ही सत्यता संदेह में है। यदि मूल का निर्धारण संदेह में है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी मूलतः उत्पादन प्रमाण के सत्यता से संबंधित संदेह के लिए विस्तृत आधार प्रदान करेगा।

(4) इन नियमों में प्रदान की गई मूल उत्पादन के सत्यापन की कार्यवाही घरेलू खपत के लिए पहले से पूर्ति किए गए माल पर भी लागू होगा।

22 सत्यापन प्रक्रिया - (1) नियम 21 के अनुसार किया गया कोई भी अनुरोध निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा, अर्थात:-

(क) आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी चालान और लदान बिल या वायुमार्ग बिल पर मूल उत्पादन प्रमाण की एक प्रति प्रदान करके सत्यापन के लिए अनुरोध करेंगे।

(ख) आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी स्पष्ट करेंगे कि क्या इसे किसी भी फर्जीवाड़े से बचने के लिए मूलतः उत्पादन प्रमाण के प्रमाणिकता के सत्यापन की आवश्यकता है या न्यूनतम आवश्यक सूचना चाहते हैं या मूल उत्पादन के निर्धारण को सत्यापित करना चाहते हैं।

(ग) ऐसे मामलों में जहां आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी मूलतः उत्पादन के निर्धारण को सत्यापित करना चाहते हैं तो निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रश्नावली भेजना होगा जिसे इस तरह की जांच या दस्तावेजों के लिए आवश्यकतानुसार निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक को भेजा जाएगा।

(घ) निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध किए गए सूचना और दस्तावेज को प्रदान करेंगे, के भीतर:

(i) यदि अनुरोध मूल उत्पादन के प्रमाण जारी करने के प्रमाणिकता से संबंधित है तो अनुरोध प्राप्ति की तिथि के 15 दिनों के भीतर जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर सहित:

(ii) यदि अनुरोध उत्पाद के मूलतः उत्पादन के निर्धारण के सत्यता के संदेह के आधार पर की जाती है तो अनुरोध प्राप्ति की तिथि के 90 दिनों के भीतर। ऐसी अवधि आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से 60 दिनों की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ङ) खंड (घ) के अनुसार सत्यापन जांच के परिणाम प्राप्त करने पर, यदि आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारी आगे जांच कार्यवाई या सूचना के लिए अनुरोध आवश्यक समझते हैं तो आयातक पक्षकार है सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को इस तथ्य के बारे में बताएंगे। ऐसे नए कार्यों के निष्पादन के लिए या अतिरिक्त सूचना की प्रस्तुति के लिए, अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) यदि खंड (घ) और खंड (घ) एवं (ङ) के अनुसार सत्यापन के परिणाम प्राप्त करने पर आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे तो अभिलेखों, उत्पादन प्रक्रियाओं साथ ही साथ सत्यापन के तहत माल के निर्माण में उपयोग किए गए उपकरण और उपकरण की जांच करने की दृष्टि से निर्यातक पक्षकार के समक्ष प्राधिकारी को निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक के परिसर में दौरा को सुविधा के लिए लिखित अनुरोध दे सकता है।

(छ) सत्यापन यात्रा के लिए अनुरोध खंड (घ) या/और खंड (ङ) में निर्दिष्ट सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिनों के बाद नहीं किया जाएगा। अनुरोध करने वाले पक्षकार तुरंत यात्रा की तारीखों को सूचित करेगी, परंतु अनुरोध की प्राप्ति के 45

दिनों के बाद नहीं और जिस पक्षकार को अनुरोध किया गया है एवं निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक को कम से कम 21 दिनों का समन दें ताकि यात्रा की व्यवस्था को सक्षम किया जा सके।

(ज) निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी उनकी उपर्युक्त यात्रा में निर्यात पक्षकार के अधिकारियों के साथ शामिल होंगे, जिसमें वे विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं जो पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक पक्षकार विशेषज्ञों को नामित कर सकती है, जो तटस्थ होंगे और सत्यापन में कोई रूचि नहीं रखते हैं। जब भी परवर्ती सत्यापन में शामिल कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व होता है तो प्रत्येक पार्टी ऐसे विशेषज्ञों की भागीदारी से इंकार कर सकता है।

(झ) एक बार यात्रा समाप्त होने के बाद, प्रतिभागी “यात्रा रिकॉर्ड” की सदस्यता लेंगे। इस रिकॉर्ड में निम्नलिखित सूचना होगी: यात्रा किये जाने की तारीख और स्थान मूलतः उत्पादन प्रमाण पत्र या मूलतः उत्पादन घोषणा की पहचान जिसके कारण सत्यापन हुआ; सत्यापन के तहत माल की पहचान; प्रतिभागियों की पहचान, अंगों और संस्थानों के संकेतों के साथ जिनसे वे संबंधित हैं; एवं कार्यवाही का रिकॉर्ड।

23 माल को जारी करना- माल की उत्पत्ति के बारे में संदेह होने पर आयातक पक्षकार अपने किसी भी तौर-तरीके की गारंटी का अनुरोध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि आयात परिचालन पूरा होने के लिए एक पूर्व शर्त है और आयातक देश के कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार।

24. गोपनीयता: (i) सीमाशुल्क प्राधिकरण आयातित पक्षकार द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग सत्यापन के तहत रखे माल के संबंध में मूलतः उत्पादन के निर्धारण और उस समय प्रचलित इसके कानूनों के तहत कानूनी कार्यवाइयों में किया जा सकेगा।

25. अधिमानी उपचार से इंकार करना- (i) सीमाशुल्क प्राधिकरण, आयातित पक्षकार अपने-अपने नियमों और कानूनों के अनुसार, के अधिमानी टैरिफ उपचार या भुगतान न किए गए शुल्क की वसूली के दावे को इन्कार कर सकते हैं, जहां-

(क) सीमाशुल्क प्राधिकरण, आयातित पक्षकार यह निर्धारित करती है कि माल इन नियमों के मूलतः उत्पाद की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा हो;

(ख) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक माल के रिकॉर्ड या माल के मूलतः उत्पादन के निर्धारण हेतु आवश्यक दस्तावेजों का प्रबंधन करने में असफल रहा हो या रिकॉर्ड, दस्तावेज दिखाने से मना करे या सत्यापन के लिए दूसरे पक्षकार को न आने दे;

(ग) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक, आयातित पक्षकार के अनुरोध पर मांगी गई जानकारी प्रदान करने में असफल हो, तो जानकारी माल के मूलतः उत्पादन के निर्धारण में आवश्यक हो;

(घ) निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक, एक सत्यापन दौरे के दौरान रिकॉर्ड या उत्पादन सुविधाएं देने से इंकार करें।

(ङ) नियम 22 के अनुसार यदि निर्यातित पक्षकार का सक्षम प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के सत्यापन के लिए लिखित अनुसरण में तय समय सीमा के भीतर उचित सूचना प्रदान करने में असफल हो;

(च) निर्यातित पक्षकार के सक्षम प्राधिकरण या निर्यातक या उत्पादक या विनिर्माता या अनुमोदित निर्यातकद्वारा प्रदान की गई जानकारी यह तय करने में समुचित नहीं है कि समझौते में तहत परिभाषित मूलतः उत्पादित माल के लिए कोई माल इसके अंतर्गत आता है अथवा नहीं।

(2) जहां सीमाशुल्क प्राधिकरण, आयातित पक्षकार द्वारा अपने घरेलू कानूनों में प्रदान किए गए उचित प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात्, मूलतः उत्पादन के साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाये, तो वह आयातक और आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकरण को अस्वीकार करने के कारणों सहित निर्णय की एक प्रति प्रदान करेगा। सीमा शुल्क प्राधिकरण, आयातित पक्षकार निर्णय के साथ-साथ मूलतः उत्पादन के लिए निर्यातित पक्षकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिये गये मूल साक्ष्य को भी वापिस करेगा।

(3) अधिमानी टैरिफ उपचार के तहत अस्वीकार के कारणों को जानकर, निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक पक्षकार के अधिकृत निर्यातक, सीमाशुल्क कानूनों में प्रदत्त समय-सीमा के भीतर आयातित पक्षकार के सीमाशुल्क कानूनों के तहत उचित अपील प्रक्रिया में ऐसे निर्णय के विरुद्ध के अपील दाखिल कर सकेगा।

26. मूलतः उत्पादन के मानदंडों के अनुसरण में माल – यदि नियम 21 के अंतर्गत किए गए सत्यापन से यह निर्धारित होता है कि माल इन नियमों के अंतर्गत मूलतः उत्पादन के मानदंडों को पूरा करता है तो आयातक जितने भी शुल्क का भुगतान निर्धारित शुल्क से अधिक किया गया है उसे शीघ्र ही लौटाएगा या पक्षकारों के घरेलू विधियों के अनुसरण में गारंटी प्राप्त करेगा।

27. मूलतः उत्पादन के मानदंडों के गैर- अनुसरण में माल- यदि नियम 21 के अंतर्गत यह पाया जाता है कि माल मूलतः उत्पादन के गैर-अनुसरण में किया गया है तो आयातित पक्षकार के घरेलू विधिक के अनुसार उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अन्य किसी भी कार्यवाही के अतिरिक्त शुल्क लेवी कर सकती है।

28. अधिमानी लाभों की भावी बहाली-(1) जहां पर आयातित पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा माल पर अधिमानी उपचार दिए जाने के इंकार किया गया हो, वहां निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक इस नियम के उप-नियम (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आयातित पक्षकार के भावी निर्यातों के संबंध में उपाय कर सकता है।

(2) ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक, निर्यातित पक्षकार के सक्षम प्राधिकरण को यह स्पष्ट रूप से बताएगा कि विनिर्माण शर्तों में संशोधन किए गए हैं ताकि इन नियमों के तहत मूलतः उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(3) निर्यातित पक्षकार का सक्षम प्राधिकरण, आयातित पक्षकार के सीमाशुल्क को निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक द्वारा विनिर्माण शर्तों में किए गए बदलाव से संबंधित सूचना देगा जिसके परिणामस्वरूप माल मूलतः उत्पादन के मानदंडों को पूरा करता हो।

(4) आयातित पक्षकार का सक्षम प्राधिकरण उक्त सूचना के प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उत्पादक के क्षेत्र में एक सत्यापन दौरे के लिए अनुरोध कर सकता है, यदि वह ऐसा किया जाना उचित समझे ताकि इस नियम के उपनियम (2) के संदर्भ में किए गए निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक के दावों की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट कर सके।

(5) यदि आयातित और निर्यातित पक्षकारों के सक्षम प्राधिकरणों विनिर्माण शर्तों में मूलतः उत्पादन मानदंडों में पश्यचवर्ती बदलावों को मानने से इंकार करती है तो वे इस मामले को समझौते के तहत स्थापित संयुक्त तकनीकी समिति को सौंप सकते हैं।

29. अधिमानी उपचार का अस्थायी निलंबन- (1) आयातित पक्षकार, निर्यातित पक्षकार के माल के मूलतः उत्पादन के संबंध में टैरिफ अधिमान को निलंबित कर सकता है, जब निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक पक्षकार के अनुमोदित निर्यातकद्वारा इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में लगातार चूक की जा रही हो या सत्यापन के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करने में लगातार चूक हो रही हो।

(2) निर्यातित पक्षकार माल के लिए दिए जाने वाले अधिमानी टैरिफ लाभों के निलंबन से 15 दिनों के भीतर ऐसे निलंबन के कारणों को अधिसूचित करेगा।

(3) निलंबन के लिए अधिसूचना प्राप्त होने पर निर्यातित पक्षकार का सक्षम प्राधिकरण परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है।

(4) परामर्श ई-मेल संचार, वीडियो कॉफ्रेंस और/या बैठकों के माध्यम से की जा सकती है और इसमें संयुक्त सत्यापन को भी शामिल किया जा सकता है, जैसा कि दोनों पक्ष उचित समझें।

(5) दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श होने के बाद और ऐसे उपाय जिनपर दोनों पक्ष सहमत हों, दोनों पक्षकार निम्नलिखित समाधान करेंगे:

(क) माल पर भूतलक्षी प्रभाव से अधिमानी लाभ को पुनस्थापित किया जाये;या

(ख) माल पर भावी प्रभाव से अधिमानी लाभ को पुनः स्थापित किया जाये, जैसा कि एक या दोनों पक्षकारों के बीच किसी आपसी सहमत उपायों के कार्यान्वयन के आधीन हो; या

(ग) माल पर अधिमानी लाभों का निलंबन जारी रखा जाये, नियम 28 के तहत उपचार प्राप्त किए जा सकते हैं।

30. दंड- (1) प्रत्येक पक्षकार दीवानी, प्रशासनिक आरोपण को अपनायेगा या उपाय करेगा और जहां उचित समझे अपने सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के उल्लंघन में दंडात्मक प्रतिबंध लगा सकता है, जिसमें टैरिफ वर्गीकरण, सीमा शुल्क मूल्यांकन, मूलतः उत्पादन के नियम और समझौते के अंतर्गत मिलने वाले अधिमानी टैरिफ उपचार का दावा शामिल है।

(2) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सीमाशुल्क कानून के उल्लंघन में या आयातक या निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा निर्माता अथवा अनुमोदित निर्यातक पर उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के संबंधित राष्ट्रीय विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

31. सुसंगत तारीख- इन नियमों में समयावधि की गणना उस तारीख से की जायेगी जिस दिन कोई तथ्य या उसके संदर्भ में कोई घटना घटी हो।

[फा. सं.15020/2/2017-नि.(आईसीडी)]

राधाकृष्णन आनंद, उप सचिव

अनुबंध 1: उत्पाद विशेष नियमावली (नियम 3 देखें)

एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियमावली (पीएसआर)
अध्याय 1	जीवित पशु।	डब्ल्यूओ
अध्याय 2	मांस और खाद्य मांस की कटाई।	डब्ल्यूओ
इ-एक्स अध्याय 3	मछली और क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी।	डब्ल्यूओ
इ-एक्स 030449	अन्य (टूना, मोंकफ्रिश, हेक मछली और सैल्मन की ताज़ा और ठंडी मछली का बुरादा)	सीटीएच
इ-एक्स 030487	अन्य (स्किपजैक और बोनिटो के जमे हुए फ़िललेट)	सीटीएच और 25% वीए
इ-एक्स 030489	अन्य (येलोफिन टूना रेनबो रन्नर और डोरेड के स्टेक और फ़ेलेट)	सीटीएच
इ-एक्स 030499	अन्य (येलोफिन टूना बेल्लीज़, ऑफकटस, स्टेक, स्किपजैक ऑफकटस, बिगेय टूना बिलीज़, आइलेस डी राय; हरेंग; क्रेस डी लॉटे; काबिलाउड; सॉलमन; ग्रेनेडियर एन ट्रेच, अल्बाकोर)	सीटीएच और 25% वीए
इ-एक्स 030569	अन्य (सनोक (बैराकोटा (थायसाइट एटुन)	सीटीएच
अध्याय 4	ऐसे डेयरी उत्पादन; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशु उत्पाद, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल न हो	डब्ल्यूओ
अध्याय 5	ऐसे पशु उत्पाद, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल न हो	डब्ल्यूओ
अध्याय 6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और ऐसे ही अन्य उत्पाद; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते।	डब्ल्यूओ

अध्याय 7	खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें और कंद।	डब्ल्यूओ
इ-एक्स अध्याय 8	खाद्य फल और सूखे मेवे; खट्टे फल या खरबूजे का छिलका।	डब्ल्यूओ
080132	- शेल्ड (काजू की गिरी)	सीटीएसएच
इ-एक्स अध्याय 9	काँफी, चाय, मेट और मसाले।	डब्ल्यूओ
090520	क्रसड आर ग्रांड (वेनिला)	सीटीएसएच
अध्याय 10	अनाज।	डब्ल्यूओ
अध्याय 11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन; गेहूं ग्लूटेन	डब्ल्यूओ
अध्याय 12	तेल के बीज और जैतून के फल; विविध अनाज, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधे; भूसा और चारा।	डब्ल्यूओ
अध्याय 13	लाख; प्राकृतिक गोंद, रेजिन, गोंद-रेजिन और ओलेओरेन्स (उदाहरण के लिए बाल्सम)	डब्ल्यूओ
अध्याय 14	सब्जी उत्पाद; ऐसे सब्जियों के उत्पाद जो कहीं और विनिर्दिष्ट या शामिल न हो	डब्ल्यूओ
इ-एक्स अध्याय 15	पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनसे बने उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या वनस्पति मोम।	डब्ल्यूओ
150410	- मछली-यकृत तेल और उनके अंश	सीसी
150420	- मछली के वसा और तेल और उनके अंश, यकृत तेलों से भिन्न	सीसी
इ-एक्स अध्याय 16	मछली उत्पाद मांस या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी।	डब्ल्यूओ
1603	मांस, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस:	सीसी
160431	- कैवियार	सीसी
160432	- कैवियार सब्सट्रैट्स	सीसी
160414	- ट्यूनास, स्किपजैक और बोनिटो (सारदा एसपीपी।):	सीटीएच
160420	- अन्य तैयार या संरक्षित मछली:	सीटीएच
इ-एक्स	शर्करा और चीनी कन्फेक्शनरी।	सीटीएसएच या 40% वीए

अध्याय 17		
170112	ऐसी कच्ची चीनी जिस में स्वाद या रंग डालने वाले पदार्थ न मिलाए गए हों -बीट शुगर	डब्ल्यूओ
170113	-गन्ने की चीनी जैसा कि फुटनोर में विनिर्दिष्ट किया गया है ¹	डब्ल्यूओ
इ-एक्स 170114	-अन्य गन्ने की चीनी -डिमेरार शुगर ² -साँफट शुगर ³	आयातित चीनी पर 40% वीए, 40% एस.टी. की सीमा तय की गई है।

1^{शीर्षक 1701.13} के अंतर्गत केवल गन्ने से निर्मित चीनी को रखा गया है जोकि सेन्ट्रीफ्यूजेशन के बिना प्राप्त की गई है, जिसमें सूक्रोज का भार, सूखी स्थिति में, एक पोलामीटर की गणना के अनुसार 690 या इससे अधिक किन्तु 930 से कम हों। इस उत्पाद में अनियमित आकार के केवल प्राकृतिक एथेराल माइक्रोक्रीस्टल्स होते हैं, जो खांड आंखों के लिए दिखाई नहीं देते हैं, जो गन्ने के अन्य अवशेषों और गन्ना के अवशेषों से घिरे होते हैं।

2^{डिमेरारा शुगर} का अर्थ है अपरिष्कृत गोल्डन ब्राउन नॉन-जीएमओ सेंट्रीफ्यूगल कैन शुगर इन सॉलिड फॉर्म जिसमें फ्लेवरिंग या कलरिंग पदार्थ नहीं है। यह सूक्रोज के वजन से 97% या अधिक होता है जिसे पोलामीटर विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में व्यक्त सल्फाइट डाइऑक्साइड 10 पीपीएम से अधिक नहीं होता है। चीनी को आयनीकृत विकिरण के अधीन नहीं किया गया है और इसे बिना किसी प्रसंस्करण के उपभोग किया जा सकता है।

3^{साँफट शुगर} का अर्थ है ठोस रूप में जिसे अपरिष्कृत महीन अनाज गैर-जीएमओ सेंट्रीफ्यूगल कैन शुगर कम से कम 0.4% नमी वाली उत्पाद के साथ मिलाया जाता है और इसमें स्वाद या रंग नहीं मिलाया जाता है। यह सूक्रोज के वजन से 84% या अधिक होता है, जिसे पालामीटर विधि ज्ञात किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में व्यक्त सल्फाइट डाइऑक्साइड 10 पीपीएम से अधिक नहीं होता है। चीनी को आयनीकृत विकिरण के अधीन नहीं किया गया है इसे बिना किसी प्रसंस्करण के उपभोग किया जा सकता है।

170199	अन्य परिशोधित चीनी जिसमें फ्लेवरिंग या कलरिंग पदार्थ नहीं होते हैं	सीटीएसएच या 40% वीए
इ-एक्स अध्याय 18	कोको और कोको उत्पाद	डब्ल्यूओ
1803	कोको पेस्ट, वसा रहित अथवा नहीं	सीटीएसएच या 35% वीए
1804	कोको मक्खन, वसा और तेल	सीटीएसएच या 35% वीए
1805	कोको पाउडर, जिसमें चीनी या अन्य कोई मीठा पदार्थ न मिलाया गया हो	सीटीएसएच या 35% वीए
1806	चाँकलेट और ऐसी अन्य खाद्य उत्पाद जो कोको युक्त हों।	सीटीएसएच या 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 19	अनाज, आटा, स्टार्च या दूध के उत्पाद; पेस्ट्रीकूकस के उत्पाद।	डब्ल्यूओ

1902	पास्ता, पका अथवा गैर-पका या भरवां (मांस या अन्य पदार्थों के साथ) या अन्यथा तैयार किया गया हो, जैसे कि स्पेगेटी, मैकरोनी, नूडल्स, लसाने, ग्रोची, रैवियोली, कैनेलोनी; कूसकूस, तैयार अथवा नहीं।	सीसी
1905	ब्रेड, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स माल, कोको युक्त या नहीं; कम्युनियन वेफर्स, फार्मास्यूटिकल उपयोग के लिए उपयुक्त एक प्रकार के खाली कैश, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इसी तरह के उत्पाद।	सीसी
इ-एक्स अध्याय 20	सब्जियां, फल, सूखे मेवे या पौधों के अन्य भागों के उत्पाद	डब्ल्यूओ
200190	अन्य (सब्जियां, फल, सूखे मेवे और पौधों के अन्य खाद्य योग्य भागों, सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या संरक्षित, खीरे और ककड़ी से भिन्न)	सीसी
200710	समरूप तैयारियां	सीसी
200799	अन्य (जैम, फ्रूट जेली, मुरब्बा, फल या अखरोट की प्यूरी और फल या अखरोट के पेस्ट, जो पका कर प्राप्त किए गए हो, चाहे वह चीनी या अन्य मीठे पदार्थ के हों या नहीं, इसके सजातीय उत्पादों से भिन्न)	सीसी
200820	- अनानास	सीसी
200899	अन्य (फल, सूखे मेवे और पौधों के अन्य खाने योग्य भाग, अन्यथा तैयार या संरक्षित, चीनी या अन्य कोई मीण पदार्थ या अर्क शामिल है या नहीं, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है, पाम हार्ट्स, क्रैनबेरी और मिश्रण से भिन्न)	सीसी
इ-एक्स अध्याय 21	विविध खाद्य उत्पाद	डब्ल्यूओ
210690	अन्य खाद्य उत्पाद	सीटीएच और 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 22	पेय पदार्थ, अर्क और सिरका।	डब्ल्यूओ
2203	माल्ट से बने बीयर।	सीसी और 35% वीए
2206	अन्य किण्वित पेय (उदाहरण के लिए, साइडर, पेरी, मीड, सेके); किण्वित पेय और गैर-अल्कोहल पेय के मिश्रण, जो कहीं और विनिर्दिष्ट या शामिल न हों	सीसी और 35% वीए
2207	80% या अधिक की मात्रा से एक अल्कोहल का निर्मित एथिल अल्कोहल; एथिल अल्कोहल और अर्क, किसी विकृत के बिना अन्य अल्कोहल	सीसी और 35% वीए

2208	80% से कम की मात्रा द्वारा एक निर्लिप्त एथिल अल्कोहल; अर्क, लिकर और अन्य अर्कयुक्त पेय।	सीसी और 35% वीए
2209	एसिटिक एसिड से प्राप्त सिरका के लिए सिरका और उसके विकल्प।	सीसी और 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 23	खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार पशुओं का चारा।	डब्ल्यूओ
इ-एक्स 230120	मछली का भोजन	सीसी या 35% वीए
इ-एक्स 230990	- अन्य (मछली, समुद्री जानवरों का भोजन)	सीसी
अध्याय 24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प।	डब्ल्यूओ
अध्याय 25	नमक; सल्फर; अर्थ एंड स्टोन; पलस्तर उत्पाद, चूना और सीमेंट।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 26	अयस्कों, लावा और राख।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 28	अकार्बनिक रसायन; रेडियोधर्मी तत्वों या समस्थानिकों की, दुर्लभ-पृथ्वी धातुओं की कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 29	जैविक रसायन।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 30	दवा उत्पाद।	सीटीएच या 40% वीए
अध्याय 31	उर्वरक।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 32	टेनिंग या रंगाई अर्क; टैनिन और उनके डेरिवेटिव; रंजक, रंजक और अन्य रंग पदार्थ; पेंट और वार्निश; पुट्टी और अन्य मास्टिक्स; स्याही	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 33	आवश्यक तेल और रेसिनोइड; इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय के उत्पाद।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 34	साबुन, कार्बनिक सतह-सक्रिय एजेंट, धुलाई उत्पाद, चिकनाई की उत्पाद, कृत्रिम वैक्स, तैयार वैक्स, पॉलिशिंग या परिशोधन के उत्पाद, मोमबत्तियाँ और इसी तरह की उत्पाद, मॉडलिंग पेस्ट, "डेंटल वैक्स" और प्लास्टर के आधार पर दंत उत्पाद।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 35	एल्बमिनोइड पदार्थ; संशोधित स्टार्च; गोंद; एंजाइम।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 36	विस्फोटक; आतिशबाजी के उत्पाद; माचिस; पायरोफोरिक मिश्र; कुछ दहनशील उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए

अध्याय 37	फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक का उत्पाद।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 38	विविध रासायनिक उत्पाद।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 39	प्लास्टिक और उससे बने उत्पाद।	सीटीएच या 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 40	रबर और उससे बने उत्पाद।	सीटीएच और 35% वीए
400110	- प्राकृतिक रबर लेटेक्स, इ-एक्स-वल्केनाइज्ड अथवा नहीं	डब्ल्यूओ
400121	- स्मोकड शीट	डब्ल्यूओ
400122	- तकनीकी रूप से निर्दिष्ट प्राकृतिक रबर (टीएसएनआर)	डब्ल्यूओ
400129	अन्य (प्राकृतिक रबर, बालटा, गुटका-परचा, गय्युल, चिकल और इसी तरह की प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूप में या प्लेटों, चादरों या पट्टी में, स्मोकड शीट और टीएसएनआर से भिन्न)	डब्ल्यूओ
अध्याय 41	कच्चे चमड़ा और खाल (फरस्किन से भिन्न) और चमड़ा।	सीटीएच या 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 42	चमड़े से बने उत्पाद सैडली और हार्नेस; यात्रा के लिए उत्पाद, हैंडबैग और इसी तरह के कंटेनर; पशु आंत (रेशम कृमि आंत के अलावा) की उत्पाद।	सीसी और 35% वीए
4202	संदूख, सूट-केस, वैनिटी-केस, एग्जीक्यूटिव-केस, ब्रीफ-केस, स्कूल सैटचैल्स, चशमे का केस, दूरबीन केस, कैमरा केस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट केस, गन केस, होलस्टर और इसी तरह के कंटेनर; यात्रा-बैग, भोजन रोधक या पेय पदार्थ बैग, टॉयलेट बैग, रूकसाक, हैंडबैग, शॉपिंग-बैग, पर्स, नक्शा-केस, सिगरेट-केस, तंबाकू-पाउच, टूल बैग, स्पोर्ट्स बैग, बोतल-केस, ज्वैलरी बॉक्स, पाउडर-बक्से, कटलरी केस और इसी तरह के कंटेनर, चमड़े या चमड़े की संरचना के, प्लास्टिक की शीटिंग कपड़ा उत्पाद, वल्केनाइज्ड फाइबर या पेपरबोर्ड या पूर्ण या मुख्य रूप से ऐसी सामग्रियों के साथ या कागज के साथ कवर किए गए हों।	सीसी या 35% वीए
4203	चमड़े या चमड़े के संघटक से निर्मित परिधान और कपड़े उपसाधन के उत्पाद, ।	सीसी या 35% वीए
4205	चमड़े या चमड़े से बने अन्य उत्पाद:	सीसी या 35% वीए
अध्याय 43	फर-स्किन और कृत्रिम फर; उससे बने उत्पाद	सीटीएच और 35% वीए
अध्याय 44	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद; लकड़ी का कोयला।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 45	कॉर्क और कॉर्क के उत्पाद।	सीटीएच या 35% वीए

अध्याय 46	एस्पार्टो घास-फूस से विनिर्मित, या अन्य प्लाटिंग उत्पाद का; बास्केटवेयर और विकरवर्क।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 47	लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्यूलोसिक उत्पाद का पल्प; ठीक किए हुए (बेकार और स्क्रेप) कागज या पेपरबोर्ड।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 48	कागज और पेपरबोर्ड; कागज के या पेपरबोर्ड के कागज के लुगदी की उत्पाद।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 49	मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र, चित्र और छपाई उद्योग के अन्य उत्पाद; पांडुलिपियाँ, टाइपस्क्रिप्ट और नक्शें।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 50	रेशम।	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 51	ऊन, महीन या मोटे जानवरों के बाल; घोड़े के बाल का यार्न और बुने हुए कपड़े	सीटीएच या 35% वीए
5201	कपास, जिसे कार्ड या कॉम्ब न किया गया हो।	डब्ल्यूओ
5202	कपास अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)।	डब्ल्यूओ
5203	कॉटन, कार्डेड या कॉम्ब।	डब्ल्यूओ
5204	कॉटन सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा हो या नहीं।	डब्ल्यूओ
5205	कपास यार्न (सिलाई धागा के अलावा), कपास के वजन से 85% या अधिक, जिसे खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया।	सीटीएच या 40%
5206	कपास यार्न (सिलाई धागा के अलावा), कपास के वजन से 85% से कम है, जिसे खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया हो।	सीटीएच या 40%
5207	कॉटन यार्न (सिलाई धागा के अलावा) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है।	सीटीएच या 40%
5208	सूती के बुने हुए कपड़े, जो कपास के वजन से 85% या अधिक, जो वजन 200 ग्राम / मी 2 से अधिक नहीं हो।	सीटीएच और 30% वीए
5209	कपास के बुने हुए कपड़े, जो कपास के वजन से 85% या अधिक, जो वजन 200 ग्राम / एम 2 से अधिक हो।	सीटीएच और 30% वीए
5210	सूती के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास का वजन 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या केवल मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / मी 2 से अधिक नहीं हो सकता।	सीटीएच और 30% वीए
5211	सूती कपड़े के बुने हुए कपड़े, जिसमें कपास का वजन 85% से कम होता है, मुख्य रूप से या केवल मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित	सीटीएच और 30% वीए

	होता है, जिसका वजन 200 ग्राम / एम 2 से अधिक सकता है।	
5212	सूती के अन्य बुने हुए कपड़े।	सीटीएच और 30% वीए
अध्याय 53	अन्य शाक कपड़ा फाइबर; कागज यार्न और कागज यार्न के बुने हुए कपड़े	सीटीएच या 35% वीए
इ-एक्स 54	अध्याय मानव निर्मित तंतु	सीटीएच
5407	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े, जिसमें बुने हुए कपड़े शामिल हैं, शीर्षक 54.04 में उत्पाद शामिल।	बुना और रंगा या मुद्रित
5408	कृत्रिम फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े, जिसमें बुने हुए कपड़े शामिल हैं, जिसमें शीर्षक 54.05 उत्पाद शामिल है।	सीटीएच और 35% वीए
अध्याय 55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	सीटीएच
5512	सिंथेटिक स्टेपल तंतुओं के बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर का वजन 85% अधिक होता है।	बुना और रंगा या मुद्रित
5513	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जो ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम हो, जो मुख्य रूप से या केवल ऐसे कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका भार 170 ग्राम / एम 2 से अधिक न हो।	बुना और रंगा या मुद्रित
5514	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े, जो ऐसे फाइबर के वजन से 85% से कम हो, जो मुख्य रूप से या केवल ऐसे कपास के साथ मिश्रित होते हैं, जिनका भार 170 ग्राम / एम 2 से अधिक वजन के हो।	बुना और रंगा या मुद्रित
5515	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े।	बुना और रंगा या मुद्रित
5516	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े	सीटीएच और 35% वीए
5601	कपड़ा उत्पाद और उससे बने उत्पाद की वैडिंग; कपड़ा फाइबर, जिनकी लंबाई (झुंड) 5 मिमी से अधिक न हो, कपड़ा की धूल और चक्री के जाल।	काता, बुना और रंगा या मुद्रित
5602	नमदा, (चाहे वह भरा हुआ हो, लेपित हो, ढका हो या लेमिनेट किया हो)।	काता, बुना और रंगा या मुद्रित
5603	नॉन-बूवन, (चाहे वह भरा हुआ हो, लेपित हो, ढका हो या लेमिनेट किया हो)।	काता, बुना और रंगा या मुद्रित
5604	रबर धागा और कॉर्ड, कपड़ा कवर; कपड़ा यार्न, और पट्टी और शीर्षक 54.04 या 54.05 की तरह, रबर या प्लास्टिक के साथ संसेचन, लेपित, कवर या म्यान।	सीटीएच

5605	धातुई यार्न, घिसा हुआ अथवा नहीं या शीर्षक 54.04 या 54.05 के कपड़ा यार्न या पट्टी या ऐसे अन्य, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या जिन्हें धातु के साथ कवर किया गया हो।	सीटीएच
5606	जिम्पड यार्न, और स्ट्रिप और शीर्षक 54.04 या 54.05 की तरह, जिम्पड (शीर्षक 56.05 और जिम्पड हॉर्सहेयर यार्न के अलावा); सेनील यार्न (झुंड सेनील यार्न सहित); लूप वाले-यार्न।	सीटीएच
5607	टविन, कॉडेज, रोप और केवल, चाहे उनकी तह लगाई गई हो या गुथे हो अथवा नहीं या रबड़ या प्लास्टिक से भरे हुए, लेपे हुए, या ढके हुए या लिपटा हो अथवा नहीं।	सीटीएच
5608	नोटिड नेटिंग ऑफ ट्विन, कॉडेज या रोप; कपड़े या अन्य प्रकार से बने हुए मत्स्य-जाल	सीटीएच
5609	यार्न की समान, शीर्षक 54.04 या 54.05 में दी गई पट्टी या ऐसे अन्य उत्पाद, ट्विमन, कॉडेज, रोप या केवल जो अन्यत्र कहीं भी विनिर्दिष्ट या शामिल न किए हो।	टीएच
अध्याय 57	कालीन और जमीन पर बिछाने के लिए कोई अन्य कपड़ा	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 58	विशेष बुने हुए कपड़े; गुच्छेदार कपड़े; फीता; टेपेस्ट्रीस; ट्रिमिंग; कढ़ाई	काता, बुना और रंगा या मुद्रित
अध्याय 59	संसेचन, लेपित, कवर या लेमिनेट किया हुआ कपड़ा; औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त एक प्रकार की वस्त्र उत्पाद	काता, बुना और रंगा या मुद्रित
अध्याय 60	बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े	सीटीएच और 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 61	परिधान और कपड़े के उपकरण के उत्पाद, बुना हुआ या क्रोकेटेड के उत्पाद	सीटीएच और 35% वीए
6102	महिलाओं या लड़कियों के ऐसे बुने हुए या क्रोकेटेड ओवरकोट, कार-कोट, टोपी, लहंगा, अनारक (स्की-जैकेट सहित), विंड-चीटर, विंड-जैकेट और इसी तरह के आर्टिकल, जो शीर्षक 61.04 से भिन्न हो।	सीटीएच और 35% वीए
6103	पुरुषों या लड़कों के बुने हुए या क्रोकेटेड सूट, एन्सेम्बल्स, जैकेट, ब्लेज़र, पतलून, विब और ब्रेस ओवरले, ब्रीच और शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)।	सीटीएच और 35% वीए
6104	महिलाओं या लड़कियों के बुने हुए या क्रोकेटेड सूट, एन्सेम्बल्स, जैकेट, ब्लेज़र, कपड़े, स्कर्ट, विभाजित स्कर्ट, पतलून, विब और ब्रेस ओवरले, ब्रीच और शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)।	सीटीएच और 35% वीए
6105	पुरुषों या लड़कों की बुनी हुई या क्रोकेटेड शर्ट।	सीटीएच और 35% वीए

6106	महिलाओं या लड़कियों के बुने हुआ या क्रोकेटेड ब्लाउज, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज।	सीटीएच और 35% वीए
6109	बुना हुआ या क्रोकेटेड टी-शर्ट, सिंग्लेट और अन्य बनियान।	सीटीएच और 35% वीए
6110	बुना हुआ या क्रोकेटेड जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, कमरकोट और इसी तरह के उत्पाद।	सीटीएच और 35% वीए
6111	बुने हुए या क्रोकेटेड शिशुओं के वस्त्र और कपड़ों के उत्पाद।	टीएच और 35% वीए
6112	बुना हुआ या क्रोकेटेड ट्रैक सूट, स्की सूट और स्विमवियर।	सीटीएच और 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 62	परिधान और कपड़ों के उत्पाद, जो बुने हुए या क्रोकेटेड न हों	सीटीएच और 35% वीए
6203	पुरुषों या लड़कों के सूट, पहनावा, जैकेट, ब्लेज़र, पतलून, बिब और ब्रेस ओवरले, ब्रीच और शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)।	सीटीएच और 35% वीए
6204	महिलाओं या लड़कियों के सूट, पहनावा, जैकेट, ब्लेज़र, कपड़े, स्कर्ट, विभाजित स्कर्ट, पतलून, बिब और ब्रेस ओवरले, ब्रीच और शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)।	सीटीएच और 35% वीए
6205	पुरुषों या लड़कों की शर्ट।	सीटीएच और 35% वीए
6206	महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज।	सीटीएच और 35% वीए
अध्याय 63	अन्य मेकअप टेक्सटाइल का उत्पाद; सेट्स; पहने हुए कपड़े और पहने हुए कपड़ों के उत्पाद; फटे हुए	सीटीएच और 35% वीए
6302	बेड लिनन, टेबल लिनन, टॉयलेट लिनन और किचन लिनन।	सीटीएच या 40% वीए
6304	शीर्षक, 94.04 शीर्षक के अलावा, अन्य फर्नीचर का उत्पाद।	सीटीएच या 40% वीए
अध्याय 64	जूते, गैटर और ऐसे अन्य उत्पाद; ऐसे उत्पाद के भाग	सीटीएच और 35% वीए
अध्याय 65	सिर पर पहने जाने वाले उत्पाद और उसके हिस्से	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 66	छतरियां, सूरज की छतरियां, छड़ी, सीट की छड़ी, चाबुक, राइडिंग कार्पस, और उसके हिस्से	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 67	प्रीपेर्यड फीदरस् एंड डाउन एंड आर्टिकलस् मेड आफ फीदर और ऑफ डाऊन; कृत्रिम फूल; मानव बाल से बने हुए उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 68	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, अभ्रक, अभ्रक या इसी तरह की उत्पाद से बने हुए उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए

अध्याय 69	सिरेमिक उत्पादों	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 70	कांच और कांच के उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 71	प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातु, कीमती धातु के साथ धातु पहने हुए, और ऐसे उत्पाद; नकली गहने; सिक्का	सीटीएच
7102	हीरे, चाहे उन पर कार्य किया गया हो अथवा नहीं किन्तु वे माउंट या सेट न किए गए हों।	सीटीएसएच और 15%
इ-एक्स 7108	सोना	सीटीएच, एचएस 7113 से 7118 को छोड़कर
710812	अन्य अवांछित रूप	15% वीए
7113	उत्पाद या जेवर और उसके हिस्से जो कीमती धातु या कीमती धातु के साथ धातु क्लांड से बने हों।	सीटीएच और 30% वीए
7114	कीमती धातु या कीमती धातु के साथ कीमती क्लांड के बने हुए, 'स्वर्णकार' या 'रजतकार' वेयर का उत्पाद और उसके अन्य हिस्से।	सीटीएच और 30% वीए
7115	कीमती धातु के साथ कीमती क्लांड या धातु के अन्य उत्पाद।	सीटीएच और 30% वीए
7116	प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों (प्राकृतिक, सिंथेटिक या पुनर्निर्मित) की उत्पाद।	सीटीएच और 30% वीए
7117	नकली गहने	सीटीएसएच और 35% वीए
7118	सिक्के	सीटीएच और 30% वीए
इ-एक्स अध्याय 72	लोहा और इस्पात	सीटीएच और 40% वीए
7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप	सीसी
अध्याय 73	लोहे या स्टील के उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 74	तांबा और उससे बने हुए उत्पाद	सीटीएच और 35% वीए
7404	कॉपर अपशिष्ट और स्क्रेप	सी
अध्याय 75	निकेल और उससे बने हुए उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए

अध्याय 76	एल्यूमीनियम और उससे बने हुए उत्पाद	सीटीएच और 50% वीए
7602	एल्यूमीनियम अपशिष्ट और स्क्रेप	सीसी
अध्याय 78	लीड और उससे बने हुए उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 79	ज़िंक और उससे बने हुए उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 80	टिन और उससे बने हुए उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 81	अन्य मूलतः उत्पादनसेभूत धातु; सेरमेटस; उससे बने हुए उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 82	बेस मेटल के उपकरण, औजार, कटलरी, चम्मच और कांटे; बेस मेटल से बने कुछ भाग	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 83	बेस मेटल से बने हुए विविध उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
इ-एक्स अध्याय 84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; उसके भागों को छोड़कर	सीटीएच और 35% वीए
8407	स्पार्क-इग्निशन पारस्परिक या रोटरी आंतरिक दहन पिस्टन इंजन।	सीटीएच और 50% वीए
8408	संकम्पेशन-इग्निशन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध-डीजल इंजन)।	सीटीएच और 50% वीए
8409	शीर्षक 4.07 या 84.08 के इंजन के साथ अकेल या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग।	सीटीएच और 50% वीए
841330	आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, ल्यूब्रिकेटिंग और कूलिंग मीडियम पंप	सीटीएच और 40% वीए
8456	किसी भी उत्पाद को लेजर या अन्य प्रकाश या फोटॉन बीम, अल्ट्रा-सोनिक, इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, आयनिक-बीम या प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा काम करने के लिए मशीन टूल्स; वाटर जेट काटने की मशीन	सीटीएच और 40% वीए
8457	कार्यशील धातु के लिए मशीनिंग केंद्र, यूनिट निर्माण मशीनें (सिंगल स्टेशन) और मल्टी-स्टेशन ट्रांसफर मशीन।	सीटीएच और 40% वीए
8458	धातु निकालने के लिए लाथेस (टर्निंग सेंटर सहित)।	सीटीएच और 40% वीए
8459	शीर्षक 84.58 के लाथेस(टर्निंग सेंटर सहित) से भिन्न, धातु को हटाकर ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, श्रेडिंग या टैपिंग के लिए मशीन-टूल्स (वे-टाइप यूनिट हेड मशीन सहित)।	सीटीएच और 40% वीए

8460	डिब्रिंग, शार्पनिंग, ग्रिडिंग, हॉनिंग, लैपिंग, पॉलिसिंग के लिए मशीन उपकरण या अन्य प्रकार की फिंशिंग धातु या ग्रिडिंग स्टोन एबरासिवस या पालिसिंग उत्पादों से बने सेरमेट्स, शीर्षक 84.61 में दिए गए गियर कटिंग, गियर ग्रिडिंग या गियर फिंशिंग मशीनों से भिन्न	सीटीएच और 40% वीए
8461	प्लानिंग, शापनिंग, स्लोटींग, ब्राचिंग, गियर कटिंग, गियर गिडिंग के लिए मशीनी उपकरण या धातु या सेरमेट्स को हटाकर कार्य करने वाले फिंशिंग, शाइंग, कटिंग-आफ और अन्य मशीनी उपकरण जो अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट या शामिल न हो।	सीटीएच और 40% वीए
8462	फोर्जिंग, हैमरिंग या डाई-स्टैम्पिंग द्वारा काम करने वाली धातु के लिए मशीन-उपकरण (प्रेस सहित); मोडने, तह, सीधा, सपाट, कतरनी, छिद्रण या नोटींग द्वारा काम करने वाली धातु के लिए मशीन-उपकरण (प्रेस सहित) ऐसे प्रेस के कार्यशील धातु या धातु कार्बाइड जो अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट न हो।	सीटीएच और 40% वीए
8463	उत्पाद को हटाए बिना, कार्य करने वाली धातु या सेरमेट्स के लिए अन्य मशीन-उपकरण।	सीटीएच और 40% वीए
8482	गेंद या रोलर वीयरिंग	सीटीएच और 50% वीए
848360	कलॅच और शाफ्ट कपलिंग (सार्वभौमिक जोड़ों सहित)	सीटीएच और 50% वीए
8484	गैसकेट और धातु पर किसी अन्य दो या उससे अधिक की धातु की परतों के साथ धातु शीरटिंग के उत्पाद जोड़े; गैसकेट और समान जोड़ों के सेट या वर्गीकरण, संघटना में असामनता, पाउच, लिफाफे या इसी तरह के पैकिंग में; मेकेनिकल सील	सीटीएच और 40% वीए
ई-एक्स अध्याय 85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उसके भाग; ध्वनि रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, और ऐसे उत्पादों के कुछ भाग और सहायक उपकरण	सीटीएच और 35% वीए
8511	स्पार्क-इग्निशन या कम्पैरेशन-इग्निशन आंतरिक दहन इंजन (उदाहरण के लिए, इग्निशन मैग्नेटोस, मैग्नेटो-डायनेमो, इग्निशन कॉइल, स्पार्किंग प्लग और ग्लो प्लग, स्टार्टर मोटर्स) के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के विद्युत इग्निशन या शुरुआती उपकरण; जनरेटर (उदाहरण के लिए, डायनेमो, अल्टरनेटर) और इस तरह के इंजन के साथ संयोजन में उपयोग किए गए एक प्रकार के कट-आउट।	सीटीएच और 50% वीए
8512	विद्युत प्रकाश या सिग्नलिंग उपकरण (शीर्षक 85.39 की सामग्री को छोड़कर), साइकिल या मोटर वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले एक तरह के विंडस्क्रीन वाइपर, डीफ्रॉस्टर और डिमिस्टर,	सीटीएच और 50% वीए
अध्याय 86	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग-स्टॉक और उसके भाग; रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग और उसके भाग; यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सभी प्रकार के यातायात सिग्नलिंग उपकरण	सीटीएच या 35% वीए

अध्याय 87	रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण	सीटीएच और 50% वीए
अध्याय 88	विमान, अंतरिक्ष यान और उसके कुछ भाग	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 89	जहाजों, नावों और पानी में बहने वाली संरचनाएं	सीटीएच या 35% वीए
ई-एक्स अध्याय 90	ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, माप, जाँच, परिशुद्धता, चिकित्सा या सर्जिकल उपकरण और औजार; उसके भाग और सहायक उपकरण	सीटीएच और 35% वीए
9001	ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर बंडल; शीर्षक 85.44 के अलावा अन्य ऑप्टिकल फाइबर केबल; ध्रुवीकरण उत्पाद की चादरें और प्लेटें; किसी भी उत्पाद से बने हुए, अनमाउंट, ग्लास के ऐसे तत्वों से भिन्न जो आप्टिकल रूप से काम नहीं करते हैं ऐसे लेंस (कॉन्टेक्ट लेंस सहित), प्रिज्म, दर्पण और अन्य ऑप्टिकल तत्व,	सीटीएच या 40% वीए
9003	फ्रेम और चश्मे, गोगल या इसी तरह के उत्पाद और उनके हिस्सों के लिए माउंट।	सीटीएच या 40% वीए
9004	चश्मा, गोगल और इस तरह के अन्य उत्पाद, सुधारात्मक, सुरक्षात्मक या अन्य।	सीटीएच या 40% वीए
9018	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त उपकरण और औजार, जिसमें स्कान्टिग्राफिक औजार, अन्य इलेक्ट्रो-मेडिकल औजार और दृष्टि-परीक्षण उपकरण शामिल हैं।	सीटीएच या 40% वीए
9021	बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रेस सहित आर्थोपेडिक उपकरण; मोच और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम हिस्से; श्रवण यंत्र या अन्य उपकरण जो शरीर में किसी खराबी, या दोष या विकलांगता की भरपाई के लिए लगाए जाते हैं।	सीटीएच या 40% वीए
ई-एक्स अध्याय 91	दीवार घड़ी और कलाई घड़ी और उसके कुछ भाग	सीटीएच और 35%
9101	कलाई-घड़ियाँ, पॉकेट-घड़ियाँ और अन्य घड़ियाँ, जिसमें, कीमती धातु के केस या कीमती धातु के धातु क्लॉई से बने हुई। स्टॉप-वाच भी शामिल हैं	सीटीएसएच या 40% वीए
9103	शीर्षक 91.04 की घड़ियों से भिन्न, पैन्डूलम वाली घड़ियाँ।	सीटीएसएच या 40% वीए
9105	अन्य घड़ियों	सीटीएसएच या 40% वीए
9108	वाच मूवमेंट, (पूरी तरह तैयार और एकत्र करके बनाई गई)	सीटीएसएच या 40% वीए

9109	क्लाक मूवमेंट , (पूरी तरह तैयार और एकत्र करके बनाई गई)	सीटीएसएच या 40% वीए
9110	कम्प्लिअ वाच या क्लॉक मूवमेंट, अनऐसेम्बल्ड ऑर पार्टली ऐसेम्बल्ड (मूवमेंट सेट); इन कम्पलीट वाच या क्लॉक मूवमेंट, ऐसेम्बल्ड; रफ या क्लॉक मूवमेंट	सीटीएसएच या 40% वीए
9111	घड़ी-केस और उसके भाग	सीटीएसएच या 40% वीए
9113	घड़ी के पट्टे, घड़ी के बैंड और घड़ी के ब्रेसलेट और उसके भाग	सीटीएसएच या 40% वीए
9114	अन्य दीवार घड़ी या क्लॉक घड़ी के भाग।	सीटीएसएच या 40% वीए
अध्याय 92	संगीत वाद्ययंत्र; ऐसी उत्पाद के कुछ भाग और सहायक उपकरण	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 93	हथियार और गोला बारूद; उनके भाग और सहायक उपकरण	सीटीएच और 35% वीए
अध्याय 94	फर्नीचर; विस्तर, गद्दे, गद्दे के लिए सहारा, कुशन और इसी तरह के उत्पाद; ऐसी लैंप और प्रकाश फिटिंग, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है; प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नाम-पट्टिका और ऐसे अन्य उत्पाद; ई-एक्सनिर्मित इमारतें	सीटीएच और 35 % वीए
अध्याय 95	खिलौने, खेल और खेल की आवश्यक वस्तुएँ; भाग और सहायक उपकरण	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 96	विविध विनिर्मित उत्पाद	सीटीएच या 35% वीए
अध्याय 97	कला, कलेक्टरों के टुकड़े और प्राचीन वस्तुओं का कार्य	सीटीएच या 35% वीए

अनुबंध 2 - भारत-मॉरीशस व्यापार समझौते के तहत स्व-प्रमाणन की अनुमोदित निर्यातक योजना (नियम 13 देखें)

1. निर्यातक पक्षकार कार का सक्षम प्राधिकरण, घरेलू नियामन के अधीन रहते हुए, एक पात्र निर्यातक (एतदपश्चात एक "अधिकृत निर्यातक" से जाना जाएगा) को उनके मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन की घोषणा के स्वतः-स्पष्टीकरण के लिए उस पक्षकार कार में अधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि वह अधिकृत निर्यातक, निर्यात उत्पाद के मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन के प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी लेता है।
2. किसी पक्षकार कार का सक्षम प्राधिकारी एक निश्चित प्रक्रिया के बाद उस पक्षकार कार के स्थापित एक अनुमोदित निर्यातक को एक प्राधिकरण संख्या प्रदान करेगा। प्राधिकरण संख्या प्रत्येक अनुमोदित निर्यातक के लिए विशिष्ट होनी चाहिए और मूलतः उत्पादनसे घोषणा में उल्लिखित होनी चाहिए।
3. एक अनुमोदित निर्यातक के मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन के स्व-प्रमाणन में निम्नलिखित शब्द होंगे:

“ इस व्यावसायिक दस्तावेज़ के अंतर्गत आने वाले उत्पाद (उत्पादों) के निर्यातक (प्राधिकरण संख्या के साथ नाम) यह घोषणा करता है कि, जहां अन्यथा स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया गया हो, ये उत्पाद _____ के हैं।^[4] भारत-मॉरीशस व्यापार समझौते के तहत मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन के नियमों के अनुसार अधिमान्य उत्पत्ति और जो मापदंड मिले हैं, _____^[5] द्विपक्षीय संचयन के साथ / बिना। उत्पाद का निर्यातक इस मूलतः उत्पादनसे घोषणा के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है”

4. मूलतः उत्पादनसेतः उत्पाद की घोषणा अंग्रेजी में एक कानूनी और स्थायी रूप में प्रदान की जानी चाहिए, किसी भी व्यावसायिक दस्तावेज पर जैसे कि वाणिज्यिक चालान जो अनुमोदित निर्यातक और मूलतः उत्पादनसे उत्पादों की पहचान करता है। वाणिज्यिक दस्तावेज जिसमें मूलतः उत्पादनसेतः उत्पाद की घोषणा शामिल है, को एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
5. एक मूलतः उत्पादनसेतः उत्पाद की घोषणा संबंधित उत्पाद के निर्यात के समय, या निर्यात के 12 महीनों के भीतर पूरी की जा सकती है,
6. निर्यात के पक्षकार कार का सक्षम प्राधिकारी एक प्राधिकरण के उचित उपयोग की निगरानी के लिए एक प्रणाली बनाएगा। यदि अनुमोदित निर्यातक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या प्राधिकरण का अनुचित उपयोग करता है तो प्राधिकरण वापस लिया जा सकता है।
7. पक्षकार कार अपने अनुमोदित निर्यातकों की मूलतः उत्पादनसे सूची को प्राधिकृत संख्या के साथ-साथ एक दूसरे के सक्षम अधिकारियों को किसी भी संशोधन के साथ सूचित करेंगे। वे अनुमोदित निर्यातक योजना के घरेलू नियामक ढांचे को भी सूचित करेंगे।

4 यहां मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन के देश अर्थात् “ भारतीय” या “ मॉरीशस” को इंगित किया जाए।

5. “ डब्ल्यू ओ” के लिए पूर्णतः उत्पादित; उत्पाद विशिष्ट नियमों के लिए उस उत्पाद के छह अंकों के एचएस कोडे को “ पीएसआर” के अनुगामी करें।

अनुबंध 3 - भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारतीय एजेंसियाँ अधिकृत हैं। (नियम 13 देखें)

अभिकरण	उत्पाद श्रेणी
निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियाँ	सभी उत्पाद
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय	समुद्री उत्पाद
विकास आयुक्त, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय कार्यालय	हस्तशिल्प
मसाला बोर्ड,	मसालों और काजू नट
काँयर बोर्ड,	काँयर और काँयर उत्पाद
कपड़ा समिति और क्षेत्रीय कार्यालय	कपड़ा और वस्त्र
केंद्रीय रेशम बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय	रेशम के उत्पाद
एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	मद्रास एसइजेड और इओयूएस के क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों को सभी उत्पाद
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,	कंदला और सूरत एसइजेड और ईओयू के संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद

एसइइपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसइइपीजेड एसइजेड और इओयूएस में के संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र,	कोचीन एसईजेड और ईओयू के संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र	नोएडा एसईजेड और ईओयू के संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
विशाखापट्टनम एसइजेड	विशाखापट्टनम एसइजेड और इओयूएस के संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
फाल्टा एसइजेड	फाल्टा एसईजेड और ईओयू एसइजेड के संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
विदेश व्यापार और क्षेत्रीय कार्यालयों के महानिदेशक	सभी उत्पाद
तंबाकू बोर्ड	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा)	कृषि उत्पाद

अनुबंध 4 - भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत मॉरीशस एजेंसियां प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं (नियम 13 देखें)

मॉरीशस राजस्व प्राधिकरण (सीमाशुल्क)

अनुबंध 5 - भारत-मॉरीशस व्यापार समझौते के तहत मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन का प्रमाण पत्र का प्रारूप (नियम 13 देखें)

1. निर्यातक का नाम, पता और देश:	प्रमाणन सं.	पृष्ठ की संख्या /
	भारत और मॉरीशस के बीच समझौते मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन का प्रमाण पत्र	
2. आयातक का [खेप का] नाम, पता और देश		
3. परिवहन का विवरण		

<p>4. मद संख्या (आवश्यकतानुसार); चिह्न और संख्याएं; संख्या और पैकेजिंग के प्रकार; माल का विवरण); एचएस टैरिफ वर्गीकरण संख्या</p>	<p>5. मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन के मानदंड (ओवरलेफ़ नोट देखें)</p>	<p>6. सकल वजन या अन्य मात्रा '</p>	<p>7. चालान संख्या और तारीख</p>
<p>8. टिप्पणी:</p> <p><input type="checkbox"/> पूर्व प्रभाव से जारी</p>			
<p>9. निर्यातक द्वारा घोषणा:</p> <p>मैं, अधोहस्ताक्षरी घोषित करता हूं कि:</p> <p>- उपरोक्त विवरण और कथन सत्य और सटीक हैं;</p> <p>- ऊपर वर्णित मालको इस प्रमाण पत्र के जारी करने के लिए आवश्यक शर्त को पूरा करता है;</p> <p>- ऊपर वर्णित माल की उत्पत्ति का देश है</p> <p>स्थान और तिथि:</p> <p>हस्ताक्षर:</p> <p>नाम (मुद्रित):</p> <p>कंपनी:</p>	<p>10. प्रमाणन</p> <p>यह एतद्वारा प्रमाणित है कि किए गए नियंत्रण के आधार पर, निर्यातक द्वारा घोषणा सही है।</p> <p>निर्यात दस्तावेज़ संख्या:</p> <p>जारी करने वाला प्राधिकरण:</p> <p>डाक टिकट</p> <p>स्थान और तिथि:</p> <p>हस्ताक्षर:</p>		

ओवरलेफ़ नोट-

1. निम्नलिखित मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादन मानदंड कोड को बॉक्स 5 में इंगित किया जाए।

(i) डब्ल्यूओ अर्थात् पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए

(ii) पीएसआर के लिए उत्पाद विशिष्ट नियमावली

अनुबंध 6 - न्यूनतम आवश्यक जानकारी (नियम 17 देखें)

1. निर्यातक / निर्माता का नाम और पता:

2. पंजीकरण संख्या:

3. मूलतः उत्पादनसे राष्ट्र:

सभी लागत और मूल्य आंकड़े, संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर (\$) / राष्ट्रीय मुद्रा में दिखाए जाने हैं

4. निर्यात उत्पाद-वार सामान्य जानकारी:

क्रम.सं.	निर्यात किए जाने वाले अच्छे का विवरण	मॉडल / ब्रांड	एचएस कोड	एफओबी मूल्य

5. माल-वार उत्पाद लागत की जानकारी (उपरोक्त पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रत्येक माल के लिए दिया जाना है):

क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज
क्रम.सं.	घटक, उत्पाद, इनपुट, भागों या उत्पादन का विवरण	मात्रा और इकाई	यूनिट सीआईएफ मान	कुल सीआईएफ मूल्य	एचएस कोड (छह अंकों का)	आपूर्तिकर्ता का नाम और पता	घटक, उत्पाद, इनपुट, भागों या उत्पादन की उत्पत्ति का देश

कॉलम ज में, प्रविष्टि मूलतः उत्पादनसे नियमों के संदर्भ में मूलतः उत्पादनसे देश को इंगित करने के लिए बनाई जाएगी: -

- (i) भारत;
- (ii) अन्य पक्षकार कार;
- (iii) उत्पादन में प्रयुक्त गैर-उत्पत्ति उत्पाद।

6. गणना

- (i) एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में उत्पादन में प्रयुक्त गैर-उत्पत्ति उत्पाद का मूल्य: _____
- (ii) एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूलतः उत्पादनसे उत्पाद का मूल्य: _____

7. विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण:

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सटीक है।

मैं, आवश्यकता के अनुसार, हमारे कारखाने / माल का निरीक्षण करूंगा और लागत रिकॉर्ड को बनाए रखूंगा।

हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

कार्यालय हेतु

ऊपर दिए गए विवरणों को जाँच लिया गया है, आवेदक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। इस साक्ष्य के आधार पर, आवेदक यह दावा करने के योग्य है कि उत्पाद _____ से मूलतः उत्पादनसेतः उत्पादित हैं जैसा कि समझौते के नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में क्रम. सं. 3 में दर्शाया गया है।

स्थान और तिथि:

आधिकारिक मुहर के साथ सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और नाम

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATIONNew Delhi, the 31st March, 2021**No. 38/2021-Customs (N.T.)**

G.S.R. 239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement between the Republic of India and the Republic of Mauritius) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2021.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) **“Agreement”** means the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement between the Republic of India and the Republic of Mauritius;

(b) **“competent authority”** means:

(i) for India, the Department of Commerce or the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) or any other agency notified from time to time;

(ii) for Mauritius, the Mauritius Revenue Authority, Customs Department;

(c) **“customs value”** means the value as determined in accordance with Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (also known as GATT), including its notes and supplementary provision thereof; and the Agreement on the Implementation of Article VII of GATT (also known as the Customs Valuation Agreement);

(d) **“carrier”** means any vehicle for air, sea or land transport;

(e) **“Change in Tariff Classification”** or **“CTC”** means the change in the relevant tariff classification of the non-originating materials used in the manufacture of the export product. CTC would cover the following cases:

(i) Change in Chapter or CC which implies the change in chapter at the two-digit level of the Harmonized System for all non-originating materials used in the manufacture of the export product;

(ii) Change in Tariff Heading or CTH which implies the change in tariff heading at the four-digit level of the Harmonized System for all non-originating materials used in the manufacture of the export product;

(iii) Change in Tariff Sub-Heading or CTSH which implies the change in tariff sub-heading at the six-digit level of the Harmonized System for all non-originating materials used in the manufacture of the export product;

(f) **“CIF value”** means the price actually paid or payable to the exporter for a good when the good is loaded out of the carrier, at the port of importation, including the cost of the good, insurance, and freight necessary to deliver the good to the named port of destination. The valuation shall be made in accordance with the Customs Valuation Agreement;

(g) **“FOB value”** or **“free-on-board value”** means the price actually paid or payable to the exporter for a product when loaded onto the carrier at the named port of exportation, including the cost of the product and all costs necessary to bring the product onto the carrier;

(h) **“Harmonized System”** or **“HS”** means the Harmonized System or HS set out in the Annex to the

International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, including any amendments adopted and implemented by the Parties in their respective laws;

- (i) “**manufacture**” means working or processing;
- (j) “**material**” means any ingredient, raw material, component or part and goods that are used in the production of another good and physically incorporated into another good;
- (k) “**non-originating materials used in production**” means any materials whose country of origin is a country other than the Parties (imported non-originating) and any materials whose origin cannot be determined (undetermined origin);
- (l) “**originating materials**” means materials that qualify as originating under these rules;
- (m) “**Parties**” means the Republic of India and the Republic of Mauritius;
- (n) “**Party**” means either the Republic of India or the Republic of Mauritius;
- (o) “**preferential tariff treatment**” means any concession or privilege granted under the Agreement by one Party to the other Party through the reduction and/or elimination of tariffs on the movement of goods;
- (p) “**product**” means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (q) “**tariff classification**” means the classification of goods according to the Harmonized System including its General Interpretative Rules and Explanatory Notes;
- (r) “**territorial waters**” means waters extending up to 12 nautical miles from the baseline as defined by the Parties in line with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS);
- (s) “**territory**” means the territory of the Party including its territorial waters and the air space above its territorial waters and the other maritime zones including the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf over which the Party has sovereignty, sovereign rights or exclusive jurisdiction in accordance with its laws in force, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and international law;
- (t) “**value of non-originating materials**” means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the territory of a Party.

3. Origin Criteria. - (1) For the purposes of these rules, a product shall be considered as originating in a Party and eligible for preferential tariff treatment, if:

- (a) it has been wholly obtained (WO) in a Party, in accordance with rule 4; or
- (b) it meets the product specific rules (PSRs) listed in Annex 1.

The value addition (VA) criteria for PSRs listed in Annex 1 is defined as

Value addition = [FOB value of export – (CIF value of non-originating material + value of material of undetermined origin)]/ [FOB value of export]
--

or

Value addition = [cost of originating material + direct labour cost + direct overhead cost + profits]/ [FOB value of export]
--

(2) Notwithstanding anything stated in these rules, the final manufacture before export must have occurred in the Party of export.

4. Wholly produced or obtained products. - Within the meaning of clause (a) of sub-rule (1) of rule 3, the following products shall be considered as being wholly obtained or produced in the territory of a Party:

- (a) Plants and plant products grown and harvested in a Party;

Explanation. - For the purposes of this clause, the term “plant” refers to all plant life, including fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants.

- (b) Live animals born and raised there and products from such animals;
- (c) Products obtained by hunting, trapping, fishing or aquaculture conducted in the Party;
- (d) Fish and fish products taken from the sea outside the territorial waters of that Party by a vessel registered in that Party and flying its flag;
- (e) Mineral goods and other naturally occurring substances extracted from or beneath its soil, waters or seabed;
- (f) Waste and scrap resulting from utilisation, consuming or manufacturing operations conducted in the territory of any of the Parties, provided they are fit only for the recovery of raw materials; and
- (g) Products manufactured there exclusively from those specified in clauses (a) to (f) above.

5. De minimis. - Notwithstanding rule 3 on the origin criteria, non-originating materials that do not meet either the Wholly Obtained criteria listed in rule 4 or CTC, if applicable in the product specific rule (PSR), shall be deemed as originating if:

- (a) their total value does not exceed 12.5% of the FOB price of the export product; and
- (b) in case of textiles and clothing under HS chapters 50-63, the weight of the non-originating material is less than 7% of the total weight of the materials used in the export product.

6. Minimal Operations and Processes. - (1) Notwithstanding anything contained in these rules, a product shall not be considered as originating in a Party if any of the following operations are undertaken exclusively by itself or in combination in the territory of that Party:

- (a) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (such as drying, freezing or thawing, keeping in brine, removal of damaged parts) and other similar operations;
- (b) changes of packaging and breaking up and assembly of packages;
- (c) washing, cleaning, removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
- (d) for textiles:
 - (i) attaching accessory articles such as straps, bands, beads, cords, rings and eyelets;
 - (ii) ironing or pressing of textiles;
- (e) simple painting and polishing;
- (f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;
- (g) operations to colour sugar or form sugar lumps;
- (h) peeling and removal of stones and shells from fruits, nuts and vegetables;
- (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
- (j) simple operations such as removal of dust, sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching;
- (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;
- (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
- (o) slaughter of animals; or
- (p) simple testing, calibration, inspection or certification.

Explanation. - For the purposes of this rule, “simple” describes an activity which need neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or installed to carry out the activity.

7. Bilateral Cumulation. - For the purposes of determining whether a product qualifies as an originating product of a Party, an originating material of the other Party which is used as a material in the production of the product in the former Party may be considered as an originating material of the former Party, provided that such material has undergone its last production process in the former Party which goes beyond the operations provided for in rule 6.

8. Packages and packing materials and containers. - (1) The packages and packing materials for retail sale, when classified together with the packaged product, shall not be taken into account for considering whether all non-originating materials used in the manufacture of a product fulfil the criterion corresponding to a change of tariff classification of the said product.

(2) Where a product is subject to an ad-valorem percentage criterion, the value of the packages and packing materials for retail sale shall be taken into account in its origin assessment, in case the packing is considered as forming a whole with products.

(3) The containers and packing materials exclusively used for the transport of a product shall not be taken into account for determining the origin of any product.

9. Accessories, spare parts and tools and sets. - (1) Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment as per standard trade practice and which value is included in its FOB price, or which are not separately invoiced, shall be considered as part of the product in question.

(2) Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating provided that the value of the non-originating products does not exceed 10 per cent of the FOB value of the set. A Party applying this rule shall not use the de-minimis criteria in rule 5 for originating products of the Set.

10. Indirect materials. - Neutral elements, which have not entered into the final composition of the product, such as energy and fuel, plant and equipment, or machines and tools, shall not be taken into account when the origin of that product is determined.

11. Accounting segregation. - (1) Where identical and interchangeable originating and non-originating materials including materials of undetermined origin are used in the manufacture of a product, those materials shall be physically segregated, according to their origin, during storage.

(2) Notwithstanding sub-rule (1) of this rule, a producer facing considerable costs or material difficulties in keeping separate stocks of identical and interchangeable originating and non-originating materials including materials of undetermined origin used in the manufacture of a product, may use the so-called “accounting segregation” method for managing stocks.

(3) The accounting method shall be recorded, applied and maintained in accordance with Generally Accepted Accounting Principles applicable in the Party in which the product is manufactured. The method chosen must:

- (a) permit a clear distinction to be made between originating and non-originating materials including materials of undetermined origin acquired and/or kept in stock; and
- (b) guarantee over the relevant accounting period of twelve months that no more products receive originating status than would be the case if the materials had been physically segregated.

A producer using an inventory management system shall keep records of the operation of the system that are necessary for the customs administration of the Party concerned to verify compliance with the provisions of these rules.

Explanation. - The term “Generally Accepted Accounting Principles” means the recognised consensus or substantial authoritative support within a Party at a particular time as to which economic resources and obligations should be recorded as assets and liabilities, which changes in assets and liabilities should be recorded, how the assets and liabilities and changes in them should be measured, what information should

be disclosed and how it should be disclosed, and which financial statements should be prepared. These standards may be broad guidelines of general application as well as detailed practices and procedures.

(4) The competent authority may require from its exporters that the application of the method for managing stocks as provided for in this rule will be subject to prior authorisation.

12. Transport. - (1) Preferential treatment in accordance with the Agreement shall only be granted to originating products that are transported directly between the Parties.

(2) Notwithstanding sub-rule (1) of this rule, an originating product may be transported through territories of non-Parties for the purpose of transit or temporary storage in warehouses in such non-Parties, provided that it:

- (a) does not undergo operations other than unloading, reloading, or any operation designed to preserve it in good condition; and
- (b) remains under customs control and has not entered into trade or consumption in those non-Parties.

If an originating product of the other Party does not meet the criteria referred to in this sub-rule, the product shall not be considered as an originating product of the other Party.

(3) An importer shall upon request supply appropriate evidence to the customs authorities of the Party of import that the conditions set out in sub-rule (2) have been fulfilled.

13. Proof of Origin. - (1) For products originating in a Party and otherwise fulfilling the origin-related requirements of these rules, the Proof of Origin of an export product will be provided either through:

- (a) an origin declaration on a commercial document completed by an approved exporter established in the Party, in accordance with the provisions of Annex 2; or
- (b) a certificate of origin, in the format provided at Annex 5, whether in a printed form or such other medium, including electronic, issued by the competent authorities of either Party, listed in Annexes 3 and 4. Issuance and acceptance of electronic certificate of origin would be in accordance with each Party's national legislation.

A Certificate or Statement of Origin or Origin declaration shall be valid for twelve months from the date of issue in the exporting Party.

(2) Notwithstanding sub-rule (1), importing Parties shall not require a Proof of Origin if the importing Party has waived the requirement or does not require the importer to present a Proof of Origin as per their national laws.

(3) Proof of Origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that Party.

14. Certification and Declaration of Origin. – (1) The Proof of Origin shall be in English.

(2) The Certificate of Origin shall be in the form specified in these rules and in light pink.

(3) The Certificate of Origin shall bear a unique sequential serial number affixed by the Issuing Authority in the exporting Party.

(4) The Certificate of Origin shall be valid for only one import and include one or more goods.

(5) The number and date of the commercial invoice or any other relevant documents shall be indicated in the box reserved for this purpose in the Certificate of Origin.

(6) The Proof of Origin shall be submitted within its validity period.

(7) In exceptional circumstances, the Proof of Origin may be accepted by the customs authority in importing Party for the purpose of granting preferential tariff treatment even after the expiry of its validity, provided the failure to observe the time limit results from force majeure or other valid reasons beyond the control of the exporter and the goods have been imported before the expiry of the validity period of the said Proof of Origin.

(8) The Certificate of Origin or the origin declaration shall be forwarded by the exporter to the importer. The Customs authorities may require the original copy.

(9) No erasures and superimpositions shall be allowed on the Proof of Origin. The alterations if any, shall be made by striking out the errors and making any addition required and such alterations shall be approved and certified by an official authorised to sign the Certificate of Origin, or the approved exporter and unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition.

(10) The Certificate of Origin shall be issued at the time of exportation, but under exceptional cases, where a Certificate of Origin has not been issued at the time of exportation or within five working days from the date of shipment due to involuntary errors or omissions, or any other valid reasons, the Certificate of Origin may be issued retrospectively, bearing the words "ISSUED RETROSPECTIVELY" in box 8 of the Certificate of Origin or the origin declaration, as the case may be, with the issuing authority or the approved exporter, also recording the reasons in writing on the exceptional circumstances due to which the certificate was issued retrospectively. The Certificate of Origin or the origin declaration can be issued or made retrospectively within twelve months from the date of shipment.

(11) In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin, the exporter may apply in writing to the issuing authority for a certified true copy of the original made on the basis of the export documents in their possession bearing the endorsement of the words "CERTIFIED TRUE COPY" (in lieu of the original certificate). This copy shall bear the date of the original Certificate of Origin. The certified true copy of a Certificate of Origin shall be issued not later than one year from the date of issuance of the original Certificate of Origin. Similarly, an approved exporter may also issue a certified true copy of the Origin Declaration which shall be issued not later than one year from the date of issuance of the original origin declaration. The exporter shall immediately notify the loss and undertake not to use the original Certificate of Origin for exports under this Agreement to the competent authority.

(12) Minor discrepancies between the Proof of Origin and the documents submitted to the customs authority at the port of importation for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto invalidate the Proof of Origin, if such Proof of Origin corresponds to the products under importation. Minor discrepancies include typing errors or formatting errors, subject to the condition that these minor errors do not affect the authenticity of the Proof of Origin or the accuracy of the information included in the Proof of Origin. Discrepancies in the specimen signatures or seals of the issuing authority shall not be regarded as minor discrepancies.

15. Third Party Invoicing. - When a good to be traded is invoiced by a non-Party trader, the producer, manufacturer or exporter of the originating Party shall inform, in the field titled "*Remarks*" of the Certificate of Origin, that the goods shall be invoiced from that non-Party trader, reproducing the following data from the commercial invoice issued by the non-Party trader: name, and address of the non-Party trader, invoice number and date.

16. Authorities. - (1) The Certificate of Origin shall be issued by authorities designated by the Parties (hereinafter referred to as Issuing Authority).

(2) Each Party shall inform the Competent Authorities and the Customs Administration of other Party of the names and addresses of the officials of the issuing authority or authorised exporters designated to issue Certificates or Statements of Origin under this agreement. They shall also provide the specimen signatures and specimen official seals of the officials of the issuing authorities.

(3) Each Party shall intimate the name, designation and contact details (address, phone number, fax number, e-mail) of its authorities-

(i) to whom the specimen seals and signatures of the Issuing Authorities of the other Party should be communicated

India: Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Government of India

Mauritius: Mauritius Revenue Authority, Customs Department

(ii) to whom the references of verification of Proof of Origin issued by the Party, should be addressed

India: Department of Commerce, Government of India

Mauritius: Mauritius Revenue Authority, Customs Department

(iii) from whom the specimen seals and signatures of the Issuing Authorities of the other Party would be received

India: Department of Commerce, Government of India

Mauritius: Mauritius Revenue Authority, Customs Department

(iv) from whom references would emanate for verification of Proof of Origin issued by the other Party

India: Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Government of India

Mauritius: Mauritius Revenue Authority, Customs Department

(4) Any change in names, designations, addresses, specimen signatures or officials' seals shall be promptly informed to the other Party.

17. Documents for application of Proof of Origin. – (1) For the issue of a Certificate of Origin, the final producer, manufacturer or exporter of the good shall present, or submit electronically through the approved channel, to the issuing authority of the exporting Party –

- (a) set of minimum information requirements referred to in Annex 6 in whichever form or format as may be required by the competent authority; and
- (b) the corresponding commercial invoice or other documents necessary to establish the origin of the good.

(2) In case of origin declaration, approved exporter should maintain the documents referred to in paragraph 1 of this rule.

(3) The description of the good and its tariff classification in the minimum required information, shall correspond with the description of the good in the commercial invoice.

(4) The Issuing Authority may apply a risk management system in order to selectively conduct pre-export verification of the minimum required information filed by an Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter. The verification may, at the discretion of the issuing authority, include methods such as obtaining detailed cost sheets, and conducting a factory visit.

18. Preservation of documents. - The Issuing Authorities shall keep the minimum required information and supporting documents for a period no less than five years, as from the date of issue.

19. Obligation of the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter. - (1) The Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter shall submit minimum required information, as referred in sub-rule (1) of rule 17, and supporting documents for issue of Certificate of Origin as per procedure followed by the Issuing Authority in the exporting Party only in cases where a good conforms to the origin-related requirements of these rules.

(2) Any Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter who falsely represents any material information relevant to the determination of origin of a good shall be liable to be penalised under the domestic laws of the exporting Party.

(3) The Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter shall keep the minimum required information, as referred in sub-rule (1) of rule 17, and supporting documents for a period no less than five (5) years, starting from the end of the year of the date of its issue.

(4) For the purpose of determination of origin, the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter applying for a Certificate of Origin or Origin Declaration under this agreement shall maintain appropriate commercial accounting records for the production and supply of goods qualifying for preferential treatment and keep all commercial and customs documentation relating to the material used in the production of the good, for at least five years from the date of issue of the Proof of Origin.

(5) These obligations also apply to suppliers who provide the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter with the declarations certifying the originating status of the goods supplied.

(6) The Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter shall upon request of the competent authority of the exporting Party where the Proof of Origin or the origin declaration has been issued, make available records for inspection to enable verification of the origin of the good.

(7) The Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter shall not deny any request for a verification visit, agreed between the competent authority of the exporting party and the customs

administration of the importing Party, in terms of this rule. Any failure to consent to a verification visit shall be liable for a denial of preferential benefits claimed under the Agreement.

(8) The Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter shall undertake to notify all parties to whom the Certificate or statement was given of any change that could affect its accuracy or validity.

20. Presentation of claim for preferential treatment. - (1) The importer shall make the claim for preferential treatment before the customs authority of the importing Party at the time of importation of goods. For the purpose of claiming the preferential tariff treatment for an originating good, the original copy of the Proof of Origin as referred to in rule 13 shall be submitted to the customs authority of the importing Party together with the documents required at the time of customs clearance of the goods for the importation in accordance with the laws and regulations of the importing Party, including the original Proof of Origin if so required.

(2) If a claim for preferential treatment is made without producing the original copy of the Proof of Origin as referred to in rule 13, the customs authority of the importing Party may deny preferential treatment and request a guarantee in any of its modalities or may take any action necessary in order to preserve fiscal interests, as a pre-condition for the completion of the importation operations subject to and in accordance with the laws and procedures of the importing Party, including the original Proof of Origin if so required.

21. Verification of Certificate of Origin or Statement of Origin. - (1) The customs authority of the importing Party, may initiate a verification relating to the authenticity of a Proof of Origin referred to in rule 13 as well as the veracity of the information contained therein, in accordance with the procedures established in these rules, in cases of doubt or on random basis.

(2) In so far as possible, the customs authority of the importing Party conducting a verification shall seek necessary information or documents relating to the origin of imported good from the importer, in accordance with its domestic laws and regulations, before making any request to the competent authority of the exporting Party for verification.

(3) In cases where the customs authority of the importing Party deems it necessary to seek a verification from the competent authority of the exporting Party, it shall specify whether the verification is on random basis or the veracity of the information is in doubt. In case the determination of origin is in doubt, the customs authority shall provide detailed grounds for the doubt concerning the veracity of Proof of Origin.

(4) The proceedings of verification of origin as provided in these rules shall also apply to the goods already cleared for home consumption.

22. Procedure for Verification. - (1) Any request made pursuant to rule 21 shall be in accordance with the following procedure, namely:-

- (a) The customs authority of the importing Party shall make a request for verification by providing a copy of the Proof of Origin on Invoice and Bill of Lading or Airway Bill.
- (b) The customs authority of the importing Party shall specify whether it requires a verification of the genuineness of the Proof of Origin to rule out any forgery or seek the minimum required information or seek to verify the determination of origin.
- (c) In cases where the customs authority of the importing Party seeks to verify the determination of origin, it shall send a questionnaire to the competent authorities of the exporting Party, which shall be passed on to the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter, for such inquiry or documents, as necessary.
- (d) The competent authority of the exporting Party shall provide the information and documentation requested, within:
 - (i) fifteen days of the date of receipt of the request, if the request pertains to the authenticity of issue of the Proof of Origin, including the seal and signatures of the issuing authority;
 - (ii) thirty days of the date of receipt of the request, if the request seeks a copy of the relevant document with the minimum required information.
 - (iii) ninety days from the date of receipt of such request, if the request is on the grounds of suspicion of the accuracy of the determination of origin of the product. Such period can be

extended through mutual consultation between the customs authority of the importing Party and issuing authority of the exporting Party for a period no more than sixty days.

- (e) On receiving the results of the verification check pursuant to clause (d), if the customs authority of the importing Party deems it necessary to request for further investigative actions or information, the customs authority of the importing Party shall communicate the fact to the competent authority of the exporting Party. The term for the execution of such new actions or for the presentation of additional information shall be not more than ninety days, from the date of the receipt of the request for the additional information.
- (f) If, on receiving the results of the verification pursuant to clause (d) or clauses (d) and (e), the competent authorities of the importing Party deem it necessary, it may deliver a written request to the competent authority of the exporting Party to facilitate a visit to the premises of the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter, with a view to examining the records, production processes, as well as the equipment and tools utilised in the manufacture of the good under verification.
- (g) The request for a verification visit shall be made not later than 30 days of the receipt of the verification report referred to in clause (d) or/and clause (e). The requested Party shall promptly inform the dates of the visit, but not later than 45 days of the receipt of request and give a notice of at least 21 days to the requesting Party and Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter so as to enable arrangements for the visit.
- (h) The competent authorities of the exporting Party shall accompany the authorities of the importing Party in their above-mentioned visit, which may include the participation of specialists who shall act as observers. Each Party can designate specialists, who shall be neutral and have no interest whatsoever in the verification. Each Party may deny the participation of such specialists whenever the latter represent the interests of the companies involved in the verification.
- (i) Once the visit is concluded, the participants shall subscribe to a "Record of Visit". The said record shall contain the following information: date and place of the carrying out of the visit; identification of the Certificate of Origin or the origin declaration which led to the verification; identification of the goods under verification; identification of the participants, including indications of the organs and institutions to which they belong; and a record of proceedings.

23. Release of goods. - Upon reasonable suspicion regarding the origin of the goods, the importing Party may request a guarantee in any of its modalities or may take any action necessary in order to preserve fiscal interests, as a pre-condition for the completion of the importation operations subject to and in accordance with the laws and procedures of the importing country.

24. Confidentiality. - (1) The information obtained by the customs authority of the importing Party can be utilised for arriving at a decision regarding the determination of origin in respect of the good under verification and can be used in the legal proceedings under its laws for the time being in force.

(2) Both Parties shall protect the information from any unauthorized disclosure in accordance with their respective laws.

25. Denial of preferential treatment. - (1) The customs authority of the importing Party may deny the claim for preferential tariff treatment or recover unpaid duties in accordance with its laws and regulations, where -

- (a) the customs authority of the importing Party determines that the goods do not meet the origin-related requirements of these rules;
- (b) the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter of the goods fails to maintain records or documentation necessary for determining the origin of the good or denies access to the records, documentation or visit for verification;
- (c) the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter of the goods fails to provide sufficient information that the importing Party requested to determine that the good is an originating good;
- (d) the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter denies access to the records or production facilities during a verification visit;

(e) the competent authorities of the exporting Party fail to provide sufficient information in pursuance to a written request for verification within stipulated time lines stated in rule 22;

(f) the information provided by the competent authority of the exporting Party or exporter or producer or manufacturer or approved exporter is not sufficient to prove that the good qualifies as an originating good as defined under the Agreement.

(2) In cases where the Proof of Origin is rejected by the customs authorities of the importing Party, after following the due process provided under its domestic laws, a copy of the decision, containing the grounds of rejection, shall be provided to the importer and the competent authority of the exporting Party. The customs authority of the importing Party shall alongside of communicating this decision also return the original Proof of Origin to the competent authority of the exporting Party.

(3) Upon being communicated the grounds for denial of preferential tariff treatment, the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter in the exporting Party may within the period provided for in the customs law of the importing Party file an appeal against such decision with the appropriate appellate authority under the customs laws of the importing Party.

26. Goods complying with origin criteria. - If a verification conducted under rule 21 determines the goods to be complying with the origin criteria under these rules, the importer shall be promptly refunded the duties paid in excess or guarantees obtained in accordance with the domestic legislation of the Parties.

27. Goods non-complying with origin criteria. - If a verification under rule 21 establishes non-compliance of the goods with the origin criteria, duties shall be levied in accordance with the domestic legislation of the importing Party in addition to any other action that may be taken under any laws for the time being in force.

28. Prospective restoration of preferential benefits. - (1) Where preferential treatment to a good has been denied by the customs authority of the importing Party, the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter may take recourse to the procedure in sub-rule (2) of this rule in respect of future exports to importing Party.

(2) Such Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter shall clearly demonstrate to the issuing authority of the exporting Party that the manufacturing conditions were modified so as to fulfil the origin requirements of these rules.

(3) The competent authorities of the exporting Party shall send the information to the customs authority of the importing Party explaining the changes carried out by Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter in the manufacturing conditions as a consequence of which the goods fulfil the origin criterion.

(4) The competent authorities of the importing Party shall within forty-five days, from the date of the receipt of the said information, request for a verification visit to the producer's premises, if deemed necessary, for satisfying itself of the veracity the claims of the Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter referred in sub-rule (2) of this rule.

(5) If the competent authorities of the importing and the exporting Parties fail to agree on the fulfilment of the origin criteria subsequent to the modification of the manufacturing conditions, they may refer the matter to the Joint Technical Committee established under the Agreement.

29. Temporary suspension of preferential treatment. - (1) The importing Party may suspend the tariff preference in respect of a good originating in the exporting Party, when the withdrawal is justified due to persistent failure to comply with the provisions of these rules by an Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter in the exporting Party or a persistent failure on part of the competent authority to respond to a request for verification.

(2) The exporting Party shall, within fifteen days of suspension of preferential tariff benefits for a good, be notified of the reasons for such suspension.

(3) Upon receipt of the notification for suspension, the competent authority of exporting Party may request for consultations.

(4) The consultations may occur by means of e-mail communications, video conference and/or meetings and may also involve joint verification, or as mutually agreed.

(5) Pursuant to the consultations between both Parties, and such measures as may be mutually agreed, both Parties shall resolve to:

- (a) restore preferential benefit to the good with retrospective effect; or
- (b) restore preferential benefit to the good with prospective effect, subject to implementation of any mutually agreed measures by one or both Parties; or
- (c) continue with the suspension of preferential benefits to the good, subject to remedies available under rule 28.

30. Penalties. - (1) Each Party shall adopt or maintain measures that provide for the imposition of civil, administrative, and, where appropriate, criminal sanctions for violations of its customs laws and regulations, including those governing tariff classification, customs valuation, rules of origin, and the entitlement to preferential tariff treatment under the Agreement.

(2) Nothing contained in these rules shall preclude the application of the respective national legislation relating to breach of customs laws or any other law for the time being in force on the importer or Exporter or Producer or Manufacturer or Approved Exporter in both the territories of both Parties.

31. Relevant dates. - The time periods set in these rules shall be calculated on a consecutive day basis as from the day following the fact or event which they refer to.

[F. No. 15020/2/2017-Dir(ICD)]

RATHAKRISHNAN ANANTH, Dy. Secy.

ANNEX 1: PRODUCT SPECIFIC RULES

(See Rule 3)

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
Chapter 1	Live animals.	WO
Chapter 2	Meat and edible meat offal.	WO
Ex Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates.	WO
Ex 030449	Other (Fresh and chilled fish fillets, of Tuna, Monkfish, Hake fish and Salmon)	CTH
Ex 030487	Other (Frozen fillets of Skipjack and Bonito)	CTH and 25% VA
Ex 030489	Other (Frozen fillets of Yellowfin tuna, frozen pieces, chunks of fish, fillets & steak of Rainbow Runner & Dorade)	CTH
Ex 030499	Other (Yellowfin tuna bellies, offcuts, steak, Skipjack offcuts, Bigeye tuna bellies, Ailes de Raie; Hareng; Ques de Lotte; Cabillaud; Salmon; 'Grenadier en tranche', Albacore)	CTH and 25% VA
Ex 030569	-- Other (Snoek (barracouta) (Thyrsites atun)	CTH
Chapter 4	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.	WO

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
Chapter 5	Products of animal origin, not elsewhere specified or included.	WO
Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage.	WO
Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers.	WO
Ex Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons.	WO
080132	-- Shelled (Cashew kernel)	CTSH
Ex Chapter 9	Coffee, tea, maté and spices.	WO
090520	- Crushed or ground (Vanilla)	CTSH
Chapter 10	Cereals.	WO
Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; insulin; wheat gluten.	WO
Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder.	WO
Chapter 13	Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)	WO
Chapter 14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included.	WO
Ex Chapter 15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes.	WO
150410	- Fish-liver oils and their fractions	CC
150420	- Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils	CC
Ex Chapter 16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates.	WO
1603	Extracts and Juices of meat, fish or crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates:	CC
160431	-- Caviar	CC
160432	-- Caviar substitutes	CC
160414	-- Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.):	CTH

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
160420	- Other prepared or preserved fish:	CTH
Ex Chapter 17	Sugars and sugar confectionery.	CTSH or 40% VA
170112	Raw Sugar not containing added flavoring or colouring matter -- Beet sugar	WO
170113	-- Cane sugar as specified in footnote ¹	WO
Ex 170114	Other cane sugar -- <i>Demerara sugar</i> ² -- <i>Soft sugar</i> ³	40% VA s.t 40% cap on imported sugar
170199	Other refined sugar not containing added flavouring or colouring matter	CTSH or 40% VA
Ex Chapter 18	Cocoa and cocoa preparations	WO
1803	Cocoa paste, whether or not defatted.	CTH or 35% VA
1804	Cocoa butter, fat and oil	CTH or 35% VA
1805	Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter.	CTH or 35% VA
1806	Chocolate and other food preparations containing cocoa.	CTH or 35% VA
Ex Chapter 19	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products.	WO
1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared.	CC

¹Subheading 1701.13 covers only cane sugar obtained without centrifugation, whose content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimeter reading of 690 or more but less than 930 . The product contains only natural anhydrous microcrystals, of irregular shape, not visible to the naked eye, which are surrounded by residues of molasses and other constituents of sugar cane

²**Demerara sugar** means unrefined Golden Brown non-GMO centrifugal cane sugar in solid form not containing added flavouring or colouring matter. It contains 97 % or more by weight of sucrose determined by the polarimetric method and a sulphite content expressed as Sulphur dioxide not exceeding 10 ppm. The sugar has not been subjected to ionizing radiation and is suitable for direct consumption without further processing.

³Soft sugar means unrefined fine grain non-GMO centrifugal cane sugar in solid form with moisture content of at least 0.4% and not containing added flavouring or colouring matter. It contains 84% or more by weight of sucrose determined by the polarimetric method and a sulphite content expressed as Sulphur dioxide not exceeding 10 ppm. The sugar has not been subjected to ionizing radiation and is suitable for direct consumption without further processing.

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
1905	Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.	CC
Ex Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants.	WO
200190	- Other: (Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid, other than cucumbers and gherkins)	CC
200710	- Homogenised preparations	CC
200799	Other(Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, other than its homogeneous preparations)	CC
200820	- Pineapples	CC
200899	Other(Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included, , other than palm hearts, cranberries and mixtures)	CC
Ex Chapter 21	Miscellaneous edible preparations.	WO
210690	Other food preparation	CTH and 35% VA
Ex Chapter 22	Beverages, spirits and vinegar.	WO
2203	Beer made from malt.	CC and 35% VA
2206	Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.	CC and 35% VA
2207	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.	CC and 35% VA
2208	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.	CC and 35% VA
2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.	CC and 35% VA
Ex Chapter 23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder.	WO

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
Ex 230120	Fish meal	CC or 35% VA
Ex230990	- Other (Feeds for fish, marine animals)	CC
Chapter 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes.	WO
Chapter 25	Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement.	CTH or 35% VA
Chapter 26	Ores, slag and ash.	CTH or 35% VA
Chapter 27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes.	CTH or 35% VA
Chapter 28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes.	CTH or 35% VA
Chapter 29	Organic chemicals.	CTH or 35% VA
Chapter 30	Pharmaceutical products.	CTH or 40% VA
Chapter 31	Fertilisers.	CTH or 35% VA
Chapter 32	Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks.	CTH or 35% VA
Chapter 33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations.	CTH or 35% VA
Chapter 34	Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster.	CTH or 35% VA
Chapter 35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes.	CTH or 35% VA
Chapter 36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations.	CTH or 35% VA
Chapter 37	Photographic or cinematographic goods.	CTH or 35% VA
Chapter 38	Miscellaneous chemical products.	CTH or 35% VA
Chapter 39	Plastics and articles thereof.	CTH or 35% VA
Ex Chapter 40	Rubber and articles thereof.	CTH and 35% VA

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
400110	- Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanised	WO
400121	-- Smoked sheets	WO
400122	-- Technically specified natural rubber (TSNR)	WO
400129	Other (Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip, other than smoked sheets and TSNR)	WO
Chapter 41	Raw hides and skins (other than furskins) and leather.	CTH or 35% VA
Ex Chapter 42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut).	CC and 35 % VA
4202	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper.	CC or 35% VA
4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather.	CC or 35% VA
4205	Other articles of leather or of composition leather:	CC or 35% VA
Chapter 43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof.	CTH and 35% VA
Chapter 44	Wood and articles of wood; wood charcoal.	CTH or 35% VA
Chapter 45	Cork and articles of cork.	CTH or 35% VA
Chapter 46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork.	CTH or 35% VA
Chapter 47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard.	CTH or 35% VA
Chapter 48	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard.	CTH or 35% VA
Chapter 49	Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans.	CTH or 35% VA

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
Chapter 50	Silk.	CTH or 35% VA
Chapter 51	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric	CTH or 35% VA
5201	Cotton, not carded or combed.	WO
5202	Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock).	WO
5203	Cotton, carded or combed.	WO
5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.	WO
5205	Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale.	CTH OR 40%
5206	Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale.	CTH OR 40%
5207	Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale.	CTH OR 40%
5208	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m ² .	CTH and 30% VA
5209	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m ² .	CTH and 30% VA
5210	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m ² .	CTH and 30% VA
5211	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m ² .	CTH and 30% VA
5212	Other woven fabrics of cotton.	CTH and 30% VA
Chapter 53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn	CTH or 35% VA
Ex Chapter 54	Man-made filaments	CTH
5407	Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.04.	woven and dyed or printed
5408	Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.05.	CTH and 35% VA
Ex Chapter 55	Man-made staple fibres	CTH

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
5512	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% of more by weight of synthetic staple fibres.	woven and dyed or printed
5513	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m ² .	woven and dyed or printed
5514	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m ² .	woven and dyed or printed
5515	Other woven fabrics of synthetic staple fibres.	woven and dyed or printed
5516	Woven fabrics of artificial staple fibres	CTH and 35% VA
5601	Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps.	Spun, woven and dyed or printed
5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.	Spun, woven and dyed or printed
5603	Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated	Spun, woven and dyed or printed
5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics.	CTH
5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal.	CTH
5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, gimped (other than those of heading 56.05 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn.	CTH
5607	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics.	CTH
5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials.	CTH
5609	Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included.	CTH

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
Chapter 57	Carpets and other textile floor coverings	CTH or 35% VA
Chapter 58	Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery	Spun, woven and dyed or printed
Chapter 59	Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use	Spun, woven and dyed or printed
Chapter 60	Knitted or crocheted fabrics	CTH and 35% VA
Ex Chapter 61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	CTH and 35% VA
6102	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.04.	CTH and 35 % VA
6103	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
6104	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
6105	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
6106	Women' or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
6109	T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
6110	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
6111	Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
6112	Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted.	CTH and 35 % VA
Ex Chapter 62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	CTH and 35% VA
6203	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).	CTH and 35 % VA
6204	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses,	CTH and 35 % VA

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
	skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).	
6205	Men's or boys' shirts.	CTH and 35 % VA
6206	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses.	CTH and 35 % VA
Ex Chapter 63	Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags	CTH and 35% VA
6302	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.	CTH or 40% VA
6304	Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.	CTH or 40% VA
Chapter 64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles	CTH and 35 % VA
Chapter 65	Headgear and parts thereof	CTH or 35% VA
Chapter 66	Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops; and parts thereof	CTH or 35% VA
Chapter 67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair	CTH or 35% VA
Chapter 68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials	CTH or 35% VA
Chapter 69	Ceramic products	CTH or 35% VA
Chapter 70	Glass and glassware	CTH or 35% VA
Ex Chapter 71	Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin	CTH
7102	Diamonds, whether or not worked but not mounted or set	CTSH and 15%
Ex 7108	Gold	CTH, except from HS 7113 to 7118
710812	Other unwrought forms	15% VA
7113	Articles or jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal	CTH and 30% VA
7114	Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.	CTH and 30% VA
7115	Other articles of precious metal or of metal clad with precious	CTH and 30% VA

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
	metal.	
7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed).	CTH and 30% VA
7117	Imitation Jewellery	CTSH and 35% VA
7118	Coins	CTH and 30% VA
Ex Chapter 72	Iron and steel	CTH and 40% VA
7204	Ferrous waste and scrap	CC
Chapter 73	Articles of iron or steel	CTH or 35% VA
Ex Chapter 74	Copper and articles thereof	CTH and 35% VA
7404	Copper waste and scrap	CC
Chapter 75	Nickel and articles thereof	CTH or 35% VA
Ex Chapter 76	Aluminium and articles thereof	CTH and 50% VA
7602	Aluminium waste and scrap	CC
Chapter 78	Lead and articles thereof	CTH or 35% VA
Chapter 79	Zinc and articles thereof	CTH or 35% VA
Chapter 80	Tin and articles thereof	CTH or 35% VA
Chapter 81	Other base metals; cermets; articles thereof	CTH or 35% VA
Chapter 82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal	CTH or 35% VA
Chapter 83	Miscellaneous articles of base metal	CTH or 35% VA
Ex Chapter 84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof except for	CTH and 35% VA
8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines.	CTH and 50% VA
8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines).	CTH and 50% VA
8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 84.07 or 84.08.	CTH and 50% VA

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
841330	Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines	CTH and 40% VA
8456	Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultra-sonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines	CTH and 40 % VA
8457	Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal.	CTH and 40 % VA
8458	Lathes (including turning centres) for removing metal.	CTH and 40 % VA
8459	Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 84.58.	CTH and 40 % VA
8460	Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 84.61.	CTH and 40 % VA
8461	Machine-tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included.	CTH and 40 % VA
8462	Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above.	CTH and 40 % VA
8463	Other machine-tools for working metal or cermets, without removing material.	CTH and 40 % VA
8482	Ball or roller bearings	CTH and 50% VA
848360	Clutches and shaft couplings (including universal joints)	CTH and 50% VA
8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals	CTH and 40% VA
Ex Chapter 85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound	CTH and 35% VA

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
	recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles	
8511	Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines.	CTH and 50% VA
8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 85.39), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles.	CTH and 50% VA
Chapter 86	Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds	CTH or 35% VA
Chapter 87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof	CTH and 50% VA
Chapter 88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof	CTH or 35% VA
Chapter 89	Ships, boats and floating structures	CTH or 35% VA
Ex Chapter 90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof	CTH and 35% VA
9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 85.44; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked.	CTH or 40 % VA
9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof.	CTH or 40 % VA
9004	Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other.	CTH or 40 % VA
9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments.	CTH or 40 % VA
9021	Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability.	CTH or 40 % VA

HS Code	Description of product	Product Specific Rules (PSRs)
Ex Chapter 91	Clocks and watches and parts thereof	CTH and 35%
9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal.	CTSH or 40 % VA
9103	Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 91.04.	CTSH or 40 % VA
9105	Other clocks.	CTSH or 40 % VA
9108	Watch movements, complete and assembled.	CTSH or 40 % VA
9109	Clock movements, complete and assembled.	CTSH or 40 % VA
9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements.	CTSH or 40 % VA
9111	Watch cases and parts thereof.	CTSH or 40 % VA
9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof.	CTSH or 40 % VA
9114	Other clock or watch parts.	CTSH or 40 % VA
Chapter 92	Musical instruments; parts and accessories of such articles	CTH or 35% VA
Chapter 93	Arms and ammunition; parts and accessories thereof	CTH and 35 % VA
Chapter 94	Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings	CTH and 35 % VA
Chapter 95	Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof	CTH or 35% VA
Chapter 96	Miscellaneous manufactured articles	CTH or 35% VA
Chapter 97	Works of art, collectors' pieces and antiques	CTH or 35% VA

ANNEX 2 - APPROVED EXPORTER SCHEME OF SELF-CERTIFICATION UNDER INDIA-MAURITIUS TRADE AGREEMENT**(See Rule 13)**

1. The competent authority of the exporting Party may, subject to domestic regulations, authorise an eligible exporter (hereafter known as an “approved exporter”) established in that Party to self-certify their origin declaration, provided that the approved exporter accepts full responsibility for certification of origin of the export product.
2. The competent authority of a Party shall after a due process grant an authorisation number to an approved exporter established in that Party. The authorisation number must be unique for every approved exporter and be mentioned in the origin declaration.
3. The self-certification of origin of an approved exporter will have the following wording:
“The exporter (name with authorisation number) of the product(s) covered by this commercial document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____⁴ preferential origin according to the rules of origin under the India-Mauritius Trade Agreement and that the criteria met is _____⁵ with/without bilateral cumulation. The exporter of the product(s) accepts full responsibility for this origin declaration”
4. The origin declaration must be provided in English, in a legible and permanent form, on any commercial document such as commercial invoice that identifies the approved exporter and the originating products. The commercial document which includes the origin declaration must be signed by an authorised signatory.
5. An origin declaration may be completed when the products to which it relates are exported, or within 12 months of exportation.
6. The competent authority of the Party of export shall maintain a system to monitor the proper use of an authorisation. The authorisation may be withdrawn if the approved exporter no longer fulfils the requirements or makes improper use of the authorisation.
7. The Parties shall notify the original list of their approved exporters with authorisation numbers along with any modifications thereof to each other’s competent authorities. They shall also notify the domestic regulatory framework of the approved exporter scheme.

⁴ The country of origin must be indicated in this field i.e. “Indian” or “Mauritius”

⁵ “WO” for wholly originating; “PSR” followed by the HS6 digit code of that product for product specific rules

**ANNEX 3 - INDIAN AGENCIES AUTHORISED TO ISSUE CERTIFICATE OF ORIGIN UNDER
THE INDIA-MAURITIUS CECPA**

(See Rule 13)

Agency	Product Category
Export Inspection Council and Export Inspection Agencies	All products
Marine Products Export Development Authority and regional offices	Marine products
Development Commissioner, Handicraft and regional offices	Handicraft
Spices Board,	Spices and Cashew nuts
Coir Board,	Coir and Coir products
Textile Committee and regional offices	Textiles and Clothing
Central Silk Board and regional offices	Silk products
MEPZ special Economic Zone	All products by Units in Madras SEZ and EOUs located within the jurisdiction.
Kandla Special Economic Zone,	All products manufactured by Units in Kandla and Surat SEZs and EOUs located within the respective jurisdiction
SEEPZ Special Economic Zone	All products manufactured by Units in SEEPZ SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction.
Cochin Special Economic Zone,	All products manufactured by Units in Cochin SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
NOIDA Export Processing Zone	All products manufactured by Units in Noida SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
Vishakhapatnam SEZ	All products manufactured by Units in Vishakhapatnam SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
Falta SEZ	All products manufactured by Units in Falta SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
Directorate General of Foreign Trade and regional offices	All products

Tobacco Board	Tobacco and tobacco products
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Agricultural Products

**ANNEX 4 - MAURITIUS AGENCIES AUTHORISED TO ISSUE CERTIFICATE OF ORIGIN
UNDER THE INDIA-MAURITIUS CECPA**

(See Rule 13)

Mauritius Revenue Authority (Customs)

**ANNEX 5 - FORMAT OF THE CERTIFICATE OF ORIGIN UNDER THE INDIA-MAURITIUS
TRADE AGREEMENT**

(See Rule 13)

1. Exporter's Name, Address and Country:	Certification No.	Number of page /	
2. Importer's [consignee's] Name, Address and Country	AGREEMENT BETWEEN INDIA AND MAURITIUS CERTIFICATE OF ORIGIN		
3. Transport details			
4. Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s); HS tariff classification number	5. ORIGIN criterion (see overleaf note)	6. Gross Weight or other Quantity'	7. Invoice number(s) and date(s)
8. Remarks: <input type="checkbox"/> ISSUED RETROSPECTIVELY			
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate; - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is	10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Export Document Number: Issuing Authority: Stamp		

In column H, the entry shall be made to indicate the Country of Origin in terms of the Rules of Origin as one of the following: -

- (i) India;
 - (ii) Other Party;
 - (iii) non-originating materials used in production.
6. Calculation
- (i) Value of non-originating materials used in production as a percentage of FOB value:

 - (ii) Value of originating materials as a percentage of FOB value: _____
7. Description of the manufacturing process:

DECLARATION

I declare that the information provided by me as above is true and correct.

I will permit, as and when required, inspection of our factory/good and undertake to maintain up to date costing records.

Signature, Name and Designation of the signatory

FOR OFFICIAL USE

The particulars given above have been checked, verified by the records maintained by the applicant and found to be correct. On the strength of this evidence, the applicant is eligible to claim that the products have originated from _____ as shown in serial number 3 above in terms of the provisions of Rules of Origin of the Agreement.

Place and Date:

Signature and Name of the Competent Authority with Official Seal